

अध्याय- 3

कुमाऊँ के भाबर एवं तराई क्षेत्र में नगरीकरण : उद्भव एवं विकास

(चयनित ईकाइयों के विशेष सन्दर्भ में)

- 3.1 उत्तराखण्ड में नगरीयकरण एवं नगरों की विशेषताएँ
- 3.2 चयनित नगरीय क्षेत्रों के उद्भव एवं विकास के ऐतिहासिक वृत्त
- 3.3 नगरीय विशेषताएँ एवं विशिष्टताएँ

प्रस्तावना –

भौगोलिक संदर्भ में नगरीयकरण एक महत्वपूर्ण परिघटना है। किसी प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपान्तरण में कस्बों एवं नगरों की भूमिका सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। नगरीय बस्तियाँ जहाँ अर्थव्यवस्था की नियामक बिन्दु होती हैं वहीं सामाजिक-सांस्कृतिक विशिष्टताओं के प्रतिनिधि, विकासीय क्रियाकलापों के प्रेरक स्रोत एवं कतिपय सेवा-सुविधाओं की उपलब्धता के कारण जनसंख्या संकेन्द्रण, क्षेत्रीय आकर्षण एवं राजनीति के प्रभावशाली केन्द्र के रूप में भी कार्यशील रहती है। इस सबके अतिरिक्त ये मानवीय उद्गम, नवप्रवर्तन, मानवीय सभ्यता की आशा एवं क्षेत्रीय विकास के लिए संभाव्यताओं एवं अवसरों के केन्द्र भी रहे हैं।

जनसंख्या अध्ययनों में, निवास्य क्षेत्र की प्रकृति के आधार पर किसी भू-भाग में वितरित आबादी को ग्रामीण एवं नगरीय रूप में विभाजित किया जाता है। इस दृष्टि से नगरीय जनसंख्या का तात्पर्य कुल जनसंख्या के उस भाग से है जो कि नगर अथवा नगर क्षेत्र में निवासित है। स्थान के संदर्भ में यह ग्राम्यांचल से शहरों की ओर जनसंख्या के प्रवाह को व्यक्त करता है जिसके फलस्वरूप नगर केन्द्रों का क्षेत्रीय एवं उर्ध्वाधर विस्तार होता है। नगर एवं नगर क्षेत्र का निर्धारण एवं सीमांकन राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना के कतिपय मानकों के आधार पर निर्धारित है। यह एक महत्वपूर्ण एवं मौलिक तथ्य भी है कि नगरीकरण के मानकों में न केवल सामयिक अन्तर दृष्टिगोचर होते हैं वरन् विश्व के विभिन्न देशों के मध्य इसमें नितान्त असमानता एवं विविधता पायी जाती हैं।

डेविस (1965) के अनुसार 'नगरीकरण एक निश्चित प्रक्रिया है, यह परिवर्तन एक वह चक्र है जिससे कोई समाज कृषक से औद्योगिक समाज में परिवर्तन होता है।'¹ नगरीकरण की प्रक्रिया का तात्पर्य किसी क्षेत्र की कुल निवासित जनसंख्या के एक भाग का सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं में नगरीय रूप में रूपान्तरण है। अतएव एक प्रवृत्ति एवं प्रक्रिया के रूप में नगरीकरण विभिन्न पदानुक्रमीय नगर केन्द्रों की संख्यात्मक वृद्धि तथा उनके जनसंख्या आकार में बढ़ोत्तरी को इंगित करता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा इस वृद्धि का विश्लेषण, उसका स्थानात्मक वितरण, आर्थिक वृद्धि के प्रणेता तथा सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण के प्रभावशाली अभिकर्ता के रूप में

नगरीकरण की भूमिका, जनांकिकी तत्वों की व्याख्या, तदजनित समस्याओं तथा कतिपय अन्य विशेषताओं का अध्ययन इसकी उपयोगिता का परिचायक है।

3.1 उत्तराखण्ड में नगरीकरण एवं नगरों की विशेषताएँ –

हिमालयी राज्य उत्तराखण्ड में नगरीय विकास के कालात्मक एवं स्थानात्मक विशेषताओं को विश्लेषित किया जाना महत्वपूर्ण है। यद्यपि हिमालयी भू-भौतिक तथा भू-आर्थिक तथा पर्वत पदीय प्रदेश के सघन वनाच्छादन समेत कतिपय अवरोधों ने इस समूचे भू-भाग में नगरीयकरण की प्रक्रिया को विलम्बित एवं बाधित किया है, तथापि पुरातन ऐतिहासिक काल में यहाँ मानव गतिशीलता के साथ कुछ नगरीय केन्द्रों के अस्तित्व के प्रमाण मानव भूगोल की दृष्टि से उत्साहवर्धक रहें हैं।² 1901 से 2011 तक विगत शताब्दी में उत्तराखण्ड में नगरीय जनसंख्या की विकासीय प्रवृत्ति, नगरीयकरण के अनुमाप में परिवर्तन, नगर एवं कस्बों के सामयिक उद्भव, उनके आकारिकी की परिवर्तनीयता, धरातलीय वितरण की कतिपय विशेषताओं के विवेचन से इस हिमालयी राज्य के वर्तमान नगरीय परिदृश्य एवं कतिपय प्रवृत्तियों को विश्लेषित किया गया है।

स्थिति एवं विस्तार –

उत्तराखण्ड, भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम एवं पूर्वी हिमालय के मध्य संक्रमण का क्षेत्र है। अपनी विशिष्ट प्रकृति, संस्कृति, संसाधन और विकास की अपार संभावनाएं लेकर नवम्बर 2000 में भारत के मानचित्र पर 27 वें राज्य के रूप में लगभग 54.48 हजार वर्ग कि०मी० क्षेत्र में फैले 13 जिलों के 'उत्तराखण्ड' राज्य का उदय हुआ। जिसका विस्तार 28⁰27' से 31⁰20' उत्तरी अक्षांश तथा 77⁰35' से 78⁰55' पूर्वी देशान्तर के मध्य है। उत्तराखण्ड का 87 प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र एवं 13 प्रतिशत भाग पर मैदानी भाग है पूर्व में काली नदी नेपाल तथा पश्चिम में टौंस नदी हिमांचल प्रदेश के साथ उत्तराखण्ड की सीमा बनाती है, उत्तर में विशाल हिमांचल पर्वत चीन से तथा दक्षिण में उत्तर प्रदेश की तराई इस राज्य को उत्तर प्रदेश से अलग करती है।³

उत्तराखण्ड कैबिनेट की बैठक दिनांक 8 जनवरी 2014 में पास तथा 9 फरवरी 2014 को नगरीय इकाइयों के लिए गठित अधिसूचना के आधार पर वर्तमान उत्तराखण्ड राज्य में 13 जनपद 95 विकासखंड एवं लगभग 16 हजार गांव तथा 116 नगरीय केन्द्र विद्यमान हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहां 1,01,16,752

करोड़ जनसंख्या का निवास है जिसमें 69.45 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण प्रकृति की है जबकि 30.55 प्रतिशत लोग नगरों में निवास करते हैं।

उत्तराखण्ड : नगरीय विकास के ऐतिहासिक संदर्श :

भारतीय सन्दर्भ में नगरीकरण के उद्भव के कतिपय कालात्मक विभाजनों में पेट्रोव द्वारा प्रस्तुत चार सोपानी मॉडल, उत्तराखण्ड के नगरीयविकास के सामयिक उत्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में सुमेलित है। पेट्रोव के अनुसार प्रारम्भ से लगभग एक सहस्र वर्षों तक पूर्व जागीरदारी युग में नगरीय केन्द्रों का उत्थान कृषि उत्पादन के विनिमय केन्द्रों एवं सांस्कृतिक केन्द्रों के रूप में हुआ। उसके उपरान्त लगभग 18 वीं शदी तक इनके उद्भव एवं विकास में प्रशासनिक, सैनिक, स्थानीय संसाधन आधारित शिल्प व बाजार की भूमिका महत्वपूर्ण रही। औपनिवेशिक काल के प्रारम्भ में नगरीकरण की गति मंद एवं विलम्बित रही।

19 वीं सदी के उपरान्त स्वतन्त्रता तक नगरीकरण का आधुनिक रूप प्रस्फुटित हुआ। इस काल में विशिष्ट पूंजीवादी कार्य व्यवहार से कस्बों का आकर्षण बढ़ने लगा। स्वतंत्रता के बाद अस्सी के दशक में विकासीय क्रियाकलापों की तीव्रता विद्युत, सड़क, स्वास्थ्य एवं संचार आदि अवस्थापनाओं के क्षेत्रीय विस्तार, वैश्विकरण के बढ़ते प्रभाव, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप नयी इकाइयों के सृजन से उत्तराखण्ड के आधुनिक नगरीकरण में अप्रत्याशित परिमाणात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि देखी जा सकती है। नगरीकरण प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या करते हुए रामचन्द्रन का विचार है कि पूर्व ऐतिहासिक काल में नगरीकरण सभ्यता के उद्भव एवं उत्थान के समानार्थी रहा।⁴ फलस्वरूप नगर केन्द्रों का देशज रूप सांस्कृतिक प्रक्रिया का परिणाम था। मध्यकाल जो कि राज्य एवं राजशाहियों के उत्थान एवं पतन से सम्बन्धित रहा, नगरीकरण के विकास में राजनैतिक प्रक्रिया ने प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन किया। आधुनिक नगरीकरण औद्योगिक विकास के फलस्वरूप उत्पादन विनिमय एवं वितरण की प्रभावशाली शक्तियों का परिणाम है। अतएव यह एक आर्थिक प्रक्रिया है। उपरोक्त सन्दर्भों में उत्तराखण्ड के नगरीय विकास को तीन चरणबद्ध काल क्रमों में निम्नानुसार स्थापित किया जा सकता है –

ऐतिहासिक काल –

पूर्व ऐतिहासिक काल में यद्यपि नगरों के वितरण की कोई सुनिश्चित जानकारी नहीं मिलती तथापि इस हिमालयी राज्य के विभिन्न भौगोलिक कटिबन्धों में कुछ नगर सन्निवेशों का अस्तित्व ऐतिहासिक साक्ष्यों, यात्रा वृत्तान्तों, अभिलेखों, यत्र-तत्र मिलने वाले पुरातात्विक भग्नावशेषों तथा लोक गाथाओं के आधार पर मिलता है। उत्तराखण्ड की दक्षिणी सीमा पर तराई-भाबर की पूर्व पश्चिम फैली मेखला में भी अनेक समृद्धशाली नगरों में बसे होने के साक्ष्य खोजे गये हैं। कलकूट (कालसी), गंगाद्वार (हरिद्वार), वीरभद्र, मायापुर, ज्वालापुर, मोरध्वज (कोटद्वार), गोविषाण (काशीपुर) तथा सेनापानी के प्राचीन अवशेष सूचित करते हैं कि ऐतिहासिक काल में ये सभी सांस्कृतिक-सामाजिक एवं धार्मिक ही नहीं वरन् आर्थिक दृष्टि से भी समृद्धशाली केन्द्र तथा तत्कालीन महत्वपूर्ण नगरीय बस्तियाँ थीं। इतिहासकारों का मत है कि यमुना एवं टोंस के संगम पर स्थित कालसी जो कि वर्तमान देहरादून जनपद का भाग है उत्तराखण्ड की प्राचीनतम नगरीय बस्ती थी। अपने उत्कर्ष के समय (मौर्य काल 320-7वीं सदी) में यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र था। कालान्तर में इसका महत्व कम हो गया और हर्ष के समय 606-647 चीनी यात्री ह्वेनसांग जिसने उत्तर भारत की तत्कालीन नगरीकरण की प्रवृत्ति का उल्लेख अपने वर्णनों में किया है ने इस नगर का कोई विवरण नहीं दिया है। इसी प्रकार गोविषाण (वर्तमान काशीपुर) जो कि तत्कालीन बौद्ध धर्म एवं सांस्कृतिक का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा होगा का विवरण ह्वेनसांग के यात्रा विवरणों में उपलब्ध है।⁵

प्राचीन उत्तराखण्ड के मानव भूगोल में तराई-भाबर की संक्रमण मेखला के साथ-साथ लघु हिमालयी विस्तृत भू-क्षेत्र का अपना अलग महत्व एवं विशिष्टता है। सच तो यह है कि इस समूचे हिमालयी प्रदेश की सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक विकास का उद्भव यहाँ की उर्वरक उपात्यकाओं से हुआ है। इस काल में उत्तराखण्ड में कोट एवं हाट शब्दों का व्यापक उपयोग हुआ है। संकटकाल में सुरक्षा की दृष्टि से बनाये गये महल एवं दुर्ग कोट तथा हाट शब्द का राजधानी एवं बाजार केन्द्र के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। इस दृष्टि से उत्तराखण्ड के प्राचीनतम राजधानी नगर, विश्व के

अन्य भाग में पाये जाने वाले नगरों की भाँति उन्हीं क्षेत्रों में स्थित हैं जिसके समीपवर्ती भाग उपजाऊ, समृद्धशाली तथा व्यापारिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।⁶

उत्तराखण्ड में मध्यकाल अथवा पूर्व आधुनिककालीन नगर/कस्बे : —

इतिहासविद्, उत्तराखण्ड में मध्यकाल को 7 वीं सदी के उपरान्त का युग मानते हैं।⁷ यह हर्ष एवं पुलकेशियन के महान राज्यों की स्थापना का युग है। भारत के महान प्रतापी राजा समुद्रगुप्त का यह सीमान्तिक प्रान्त था। समुद्रगुप्त के प्रयाग के शिलालेख जिसमें उसके दिग्विजयी होने की तिथि 350 ई० अंकित है, में उसके द्वारा पराजित नौ राजाओं के नामों में हिमालयी राज्य नेपाल एवं कर्तृपुर (कत्यूरी) अंकित है। एशियाटिक सोसिटी के 1898 में प्रकाशित शोध पत्र में सी० एफ० स्याल्डहम ने सप्रमाण यह सिद्ध किया है कि कर्तृपुर वर्तमान कार्तिकेयपुर है। यहाँ के वैभवशाली शासकों का राज्य पश्चिम में सतलज नदी से पूर्व में गंडक तक दक्षिण में कढेड (रुहेलखण्ड) से उत्तर में कुर्माचल—गढ़वाल तक विस्तृत था। सम्पूर्ण तराई—भाबर इसी राज्य में सम्मिलित था।⁸ सम्पूर्ण मध्ययुग उत्तराखण्ड के विभिन्न भू-भागों में उदय हुए राजशाहियों का काल है जिसमें कत्यूरी एवं चन्द्र शासकों की एक दीर्घ शृंखला हैं। राजधानी दुर्ग, धार्मिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र तथा स्थानीय बाजार केन्द्रों के रूप में अनेक नगर केन्द्रों का विकास इस युग की महत्वपूर्ण देन है। इनमें कुछ केन्द्र जहाँ प्राचीन अवशेषों पर ही समृद्ध हुए वही अनेक नवीन नगरीय केन्द्रों का प्रादुर्भाव एवं विकास हुआ। कत्यूरी एवं चन्द्र शासकों के दीर्घ कालीन शासन के दौरान उत्तराखण्ड के विभिन्न स्थानों पर कुछ विशिष्ट बस्तियाँ तत्कालीन राजसत्ता तथा प्रशासनिक व्यवस्था की केन्द्र होने तथा अपनी स्थिति, जलवायु, सांस्कृतिक समेकन एवं धार्मिक महत्व की अनुकूलता के कारण क्षेत्रीय अधिवास विन्यास में केन्द्र स्थल की भूमिका के रूप में महत्वपूर्ण हो गयी।

आत्म—निर्भरतामूलक अर्थव्यवस्था, वस्तु विनिमय की परम्परा, ग्रामीण परिवेश, यातायात मार्गों एवं साधनों की अविकसित दशा के फलस्वरूप न्यून मानव गतिशीलता तथा सामाजिक—आर्थिक परिवर्तनों की अत्यन्त धीमी गति समेत कतिपय विशिष्टताओं के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन नगर एवं देशज नगरीकरण आधुनिक नगरीकरण से सुमेलित नहीं किया जा सकता। इसी कारण राजशाही की समाप्ति, प्राकृतिक प्रकोप तथा

यातायात के नवनिर्मित मार्गों एवं साधनों से अलग-थलग होने के कारण अनेक नगरीय बस्तियाँ अपने अस्तित्व एवं महत्व को अक्षुण्ण नहीं रख पायीं जबकि तत्कालीन अनेक बस्तियाँ ऐतिहासिक विकास के कतिपय चरणों में अस्तित्व में रहीं और अपने भौगोलिक परिवेश की अनुकूलता से आज अपने महत्व को स्तरीय बनाये हुए हैं। उत्तराखण्ड में मध्यकालीन प्रमुख प्रतिनिधि कस्बे एवं नगर रुद्रपुर, बाजपुर, काशीपुर नगर, जसपुर आदि थे।

आधुनिक नगरीय विकास:-

भारत में आधुनिक नगरीयकरण का सूत्रपात वर्ष 1674 में ईस्ट इन्डिया कम्पनी का द्वारा बम्बई (जो कि उस समय एक छोटा सा कस्बा था) को लीज पर लेने से माना जा सकता है। उसी वर्ष कम्पनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई स्थानान्तरित किया गया और धीरे-धीरे यहाँ नगरीय अवस्थपनाएँ लागू की गयीं। भारत में अंग्रेजों की अधिसंख्य आबादी का संकेन्द्रण राजनैतिक एवं आर्थिक शक्ति के चार प्रमुख केन्द्रों क्रमशः दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में रहा। औपनिवेशिक शासन की अवधि में इन्हीं केन्द्रों के समीपवर्ती 1250 मीटर से 2500 मीटर की ऊँचाई वाले पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों (केवल कश्मीर को छोड़ जहाँ कि पर्वतीय सैरगाहों का विकास मुगल काल की देन है) में अनुमानतः 80 हिल स्टेशनों को बसाया गया।⁹

उत्तराखण्ड के पर्वतपदीय एवं हिमालयी क्षेत्र में यूरोप के समरूप जलवायु दशा, नैसर्गिक आकर्षण, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक विविधता तथा तिब्बत एवं नेपाल से लगी अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के कारण इसकी सामरिक स्थिति ने अंग्रेज शासकों को आकर्षित ही नहीं प्रभावित भी किया। यही कारण है कि इस सम्पूर्ण भू-भाग में 1815 से 1947 तक के लगभग 132 वर्षों के औपनिवेशिक शासन काल में 9 सैनिक छावनियों सहित अनेक हिल स्टेशनों की स्थापना तथा आधुनिक नगरीय सुविधाओं का प्रादुर्भाव हुआ। रेल मार्गों के द्वारा देश के प्रमुख नगरों से इस क्षेत्र का संयोजन, आन्तरिक भागों में आवागमन मार्गों एवं संचार सुविधाओं के विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि प्राथमिक अवस्थापनाओं की आपूर्ति, व्यापार-वाणिज्य के आधुनिक प्रतिमानों के द्वारा आर्थिक-विभेदीकरण तथा नगर प्रशासन में शासकीय नियमावलियों के अनुप्रयोग के मापदंडों ने नगरीय विकास के नवीन आयाम स्थापित हुए। इस सबके पीछे ब्रिटिशों

की जो भी राजनैतिक एवं आर्थिक महत्वाकांक्षा रही हो यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि उत्तराखण्ड में नगरीय बस्तियों की स्थापना, प्राचीन पूर्व बस्तियों का विकास तथा आधुनिक नगरीकरण का प्रादुर्भाव ब्रिटिश शासनकाल के दौरान माना जाना चाहिए। उत्तराखण्ड में अपने प्रवेश के उपरान्त 19 वीं सदी में बनायी गयी छावनियाँ यद्यपि 1909 के कैंटोनमैन्ट मैनुअल के अनुसार ब्रिटिश सैनिकों के स्वास्थ्य लाभ के लिए बनायी गयी थी।

रक्षा उद्देश्यों के लिए यातायात मार्गों एवं संचार की सुविधाओं, बाजार आदि की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु दशाओं के कारण बढ़ती अंग्रेज आबादी से इन हिल स्टेशनों एवं छावनियों के विकास एवं विस्तार की आवश्यकता महसूस हुयी। रेल, सड़क, भवन, कालेज, मार्ग, होटल, स्कूल, कालेज, कार्यालय, क्लब, सिनेमाघर तथा कतिपय नगरीय अवस्थापना के निर्माण के लिए आधुनिक नगरीकरण के अनुरूप यूरोपीय संस्थाओं का स्थापन तीव्र गति से हुआ। वास की सुखद प्राकृतिक दशाओं, सुरक्षा एवं दैनिक सामाजिक आवश्यकताओं की सरल आपूर्ति के फलस्वरूप ये बस्तियाँ शासकों के पारस्परिक सम्बन्धों को जोड़ने तथा मजबूत बनाने के भी केन्द्र बन गये फलतः जनसंख्या की क्रमिक वृद्धि तथा यहाँ यूरोपीय समुदाय की सामाजिक-सांस्कृतिक गतिशीलता में वृद्धि हुयी।

प्राकृतिक विविधता के साथ यातायात, घूमने-फिरने, मनोरंजन आदि की सुविधा से इन पर्वतीय स्थानों पर मौसमी पर्यटन की नींव पड़ी। शिक्षा की जरूरतों के लिए कान्वेन्ट/बोर्डिंग स्कूल खोले गये। जो कालान्तर में व्यापारिक गतिविधि का रूप ग्रहण कर नगरीकरण के उत्प्रेरक कारक बन गये। इस प्रकार उत्तराखण्ड में ब्रिटिश कालीन नगरीय विकास मात्र स्थानिक रुपान्तरण नहीं था वरन् यह पूरे विश्व एवं सम्पूर्ण देश के परिवर्तनशील ऐतिहासिक तथ्यों के साथ आर्थिक विकास एवं सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों की एक शृंखलाबद्ध सामयिक अभिव्यक्ति थी। उत्तराखण्ड में इस नगरीकरण से न केवल एक पृथक शहरी आबादी का जन्म हुआ वरन् पूर्व स्थापित ग्रामीण कृषि समाज एवं अर्द्ध औद्योगिक शहरी समाज के मध्य एक स्पष्ट विभाजन रेखा बन गयी। व्यापार-वाणिज्य को नवीन एवं प्रभावशाली व्यावसायिक आयाम प्राप्त हुए। कार्य के समयानुसार विभाजन के द्वारा नवीन सामाजिक, आर्थिक प्रतिमान बनाये गये। सामाजिक व्यवहार को पृथक-पृथक गतिविधियों के रूप में व्यापार एवं लाभ के लिए

संगठित किया गया अंततः स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कार्य की सुविधा, व्यावसायिक विविधता, सामाजिक, सांस्कृतिक स्वतंत्रता के कारण, शहरीकरण का आकर्षण बढ़ने लगा।

उत्तराखण्ड में नगरीय विकास की प्रवृत्तियाँ : –

बीसवीं सदी से पूर्व विकसित नगरीय बस्तियों के अस्तित्व, स्वरूप एवं विशेषताओं के वितरण के अतिरिक्त प्रशासनिक दृष्टि से उत्तराखण्ड में आधुनिक नगरीकरण 1872 में जनगणना के प्रारम्भ से माना जा सकता है। ऐतिहासिक काल में प्रशासनिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक रूप से उत्तराखण्ड की केन्द्रीय बस्तियाँ, अल्मोड़ा, श्रीनगर, हरिद्वार, जसपुर, काशीपुर, रुड़की, एवं ऋषिकेश के अतिरिक्त अंग्रेज शासकों द्वारा विकसित व्यापारिक नगर, छावनियाँ/दुर्ग एवं हिल स्टेशन प्रमुख थीं। मसूरी (1826), देहरादून (1827 जिला मुख्यालय), रुड़की (1835), नैनीताल (1850 म्यूनिसिपैल्टी), रामनगर (1850), अल्मोड़ा (1851 चुंगी बोर्ड), जसपुर (1856 टाउन एरिया), रानीखेत (1869 कैण्ट), चकराता (1869), काशीपुर (1872 म्यूनिसिपैल्टी), हल्द्वानी (1885 टाउन एरिया), लैन्सडाउन (1887) आदि उत्तराखण्ड में आधुनिक नगरीकरण के प्रतिनिधि कस्बे माने जा सकते हैं।¹⁰

यद्यपि अनेक प्राचीन नगरीय बस्तियाँ जैसे भवाली (1895 लीसा फैक्टरी, 1912 क्षयरोगाश्रम), टनकपुर (1880), रुद्रपुर, खटीमा, बाजपुर, द्वाराहाट, बागेश्वर, जोशीमठ, पौड़ी, टिहरी, गुप्तकाशी आदि आधुनिक नगरीय मापदंड में सम्मिलित नहीं हो पाये। 1881 एवं 1891 की जनगणनाओं की अपुष्ट सूचनाओं के आधार पर उत्तराखण्ड में क्रमशः 10 तथा 17 नगर केन्द्रों का अस्तित्व था। 1901 की जनगणना के मानकों के आधार पर यह संख्या बढ़कर 20 हो गयी। दून घाटी की अनुकूल भौगोलिक स्थिति के कारण देहरादून (1901–30995) तत्कालीन उत्तराखण्ड के सबसे बड़े नगर के रूप में अस्तित्व में था जबकि हिमालय के आन्तरिक भागों में मात्र दो छोटे केन्द्रों अल्मोड़ा (1901–8596) एवं श्रीनगर (1901–2091) उत्तराखण्ड की स्थायी एवं स्थिर ग्राम्य अर्थव्यवस्था के प्रतीक थे। शेष 11 नगरीय केन्द्र सीमान्तिक कस्बों की एक शृंखला के रूप में पर्वतपदीय भाबर–तराई की पट्टी तथा संलग्न मैदानी क्षेत्रों में पश्चिम से पूर्व विस्तृत थे।

1911 की जनगणना में जहाँ एक ओर रुड़की छावनी पृथक नगरीय केन्द्र के रूप में अवतरित हुयी वही जिम कार्बेट के कालाढूंगी की नगरीय मान्यता निरस्त हुयी। यह स्थान एक दीर्घकालीन ठहराव के उपरान्त 70 वर्ष बाद पुनः 1981 में नगरीय क्षेत्र के रूप में परिभाषित हो सका। पूर्व स्वतंत्रता काल के लगभग 40 वर्षों में पौड़ी, भवाली तथा भीमताल (1921) तथा पिथौरागढ़ (1941) सहित केवल 4 नगरीय केन्द्र तथा अल्मोड़ा, नैनीताल तथा देहरादून सहयोजित छावनियाँ (1931) को ही नगरीय केन्द्रों की दर्जा मिल सका।

नैनीताल जनपद में भीमताल (1931) तथा पौड़ी का गिरीपाद नगर कोटद्वार (1931) पुनः अपनी नगरीय प्रस्थिति सुरक्षित नहीं रख पाये। स्वतंत्रता के उपरान्त प्रथम जनगणना (1951) की सूचनाओं के आधार पर उत्तराखण्ड में 8 नवीन नगर केन्द्र अस्तित्व में आये जिनमें अकेले 5 केन्द्र टिहरी रियासत के महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यापार/वाणिज्य एवं सांस्कृतिक-आर्थिक केन्द्र थे। इसके अतिरिक्त सुदूर सीमान्त में उत्तरकाशी तथा पौड़ी जनपद में दुगड़ड़ा का उदय हुआ जबकि अपने व्यापारिक महत्व को बरकरार रखते हुए कोटद्वार को पुनः नगर की मान्यता प्रदान की गयी। आगामी 20 वर्षों में उत्तराखण्ड में नगरीयकरण की गति मंद रही। 1962 के चीनी आक्रमण से उत्तराखण्ड के सीमान्त जनपदों पिथौरागढ़, चमोली एवं उत्तरकाशी के सामरिक महत्व का आभाष हुआ और उत्तराखण्ड में सड़क, संचार एवं अन्य विकासीय अवस्थापनाओं की अल्पता एवं उनके सृजन पर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ फलस्वरूप 1961 से 1981 के 20 वर्षों में 33 नवीन नगरीय केन्द्र अस्तित्व में आये। भौगोलिक दृष्टि से इसमें 20 केन्द्र पर्वतीय भाग में थे जबकि 13 केन्द्र पर्वत पदीय क्षेत्र में थे।

उत्तराखण्ड में नगरीकरण की इस अप्रत्याशित वृद्धि को अनेक उत्तरदायी विकासीय क्रिया कलापों के सृजन, नव प्रवर्तन, एवं विसरण प्रक्रिया का परिणाम माना जा सकता है। सन् 1981 के उपरान्त आगामी दो दशकों में उत्तराखण्ड में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि की दर पूर्व की अपेक्षा कुछ मन्द क्रमशः 4.2 प्रतिशत एवं 3.3 प्रतिशत रही। सन् 1991 की जनगणना में सृजित 16 नवीन नगर केन्द्रों में गंगोत्री को छोड़ सभी दून तथा तराई-भाबर की पट्टी में अवतरित हुए। ये सभी अपेक्षाकृत कम जनसंख्या के केन्द्र थे।

अध्याय -1 में दी गयी तालिका उत्तराखण्ड की वर्ष 1901 से 2011 तक नगरीय जनसंख्या की दशाब्दिक वृद्धि दर स्पष्ट होता है कि वर्तमान नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर 41.86 प्रतिशत है। उत्तराखण्ड में नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या का वर्तमान अंश 30.55 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत 31.16 प्रतिशत के काफी समीप है। विभिन्न जनगणना दशकों में नगरीय जनसंख्या के सम्बन्धित आंकड़ों का विश्लेषण यद्यपि किसी सुनिश्चित प्रवृत्ति का संकेत नहीं देता तथापि यह स्पष्ट है कि उत्तराखण्ड की दशकीय वृद्धि देश की तुलना में सामान्यतया अधिक रही है। आगामी दो दशकों में उत्तराखण्ड की नगरीय जनसंख्या के रुझान क्रमशः घटती दर से वृद्धि के प्रतिशत को इंगित करती है।

उत्तराखण्ड के नगरीयकरण की क्षेत्रीय विभिन्नता एवं विशेषताएँ

उत्तराखण्ड में आधुनिक नगरीयकरण की वृहद क्षेत्रीय असमानताएँ अस्वाभाविक नहीं हैं। चरम भौतिक विविधताओं के इस भू-भाग में संसाधन आधार, विकासीय दशा तथा ऐतिहासिक कारकों की व्याख्या क्षेत्रीय स्तर पर की जा सकती है।

उत्तराखण्ड : नगरीय जनसंख्या की क्षेत्रीय विशेषताएँ – 2011

सारणी संख्या – 3.1

जनपद	कुल जनसंख्या 2011	नगरीय जनसंख्या 2011	कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत	राज्य की नगरीय जनसंख्या में जनपद का अंश
1- उत्तरकाशी	3,29,686	24,217	7.35	0.78
2- चमोली	3,91,114	59,088	15.11	1.91
3- रुद्रप्रयाग	2,36,857	9,918	4.19	0.32
4- टिहरीगढ़वाल	6,16,409	70,055	11.37	2.27
5- देहरादून	16,98,560	9,49,560	55.90	30.72
6- पौड़ी गढ़वाल	6,86,527	112,680	16.41	3.65
7- पिथौरागढ़	4,85,993	69,563	14.31	2.25
8- बागेश्वर	2,59,840	9,091	3.50	0.29
9- अल्मोड़ा	6,21,927	62,332	10.02	2.02
10- चम्पावत	2,59,315	38,345	14.79	1.24
11- नैनीताल	9,55,128	371,891	38.94	12.03
12- उ०सि०न०	16,48,367	586,526	35.58	18.97
13- हरिद्वार	19,27,029	727,903	37.77	23.55
उत्तराखण्ड-योग	1,01,16,752	30,91,169	30.55	100

स्रोत – जनगणना 2011 ।

उपरोक्त सारणी से उत्तराखण्ड के शहरीकरण की कुछ विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। पहली यह कि लगभग 85 प्रतिशत नगर व नगरीय जनसंख्या मैदानी भू-भाग (भाबर एवं तराई क्षेत्र) में अवस्थित है। दूसरी विशेषता यह है कि 5-6 बड़े नगरों में ही लगभग 65 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या निवास करती है। तीसरी विशेषता यह है कि सुदूर पर्वतीय क्षेत्र व अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जनपदों में शहरीकरण लगभग नगण्य है। यह विशेषताएं इस बात का संकेत है कि पूर्ववर्ती राज्य में उत्तराखण्ड की नगरीय संरचना तथा अवस्थापनाओं के विकास को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिली। पर्वतीय एवं समीपवर्ती तराई-भाबर की पट्टी में, प्रदेश की दक्षिणी सीमा पर पश्चिम से पूर्व विस्तृत क्रमशः देहरादून (55.90), हरिद्वार (37.77), उधमसिंह नगर (35.58) एवं संलग्न नैनीताल (38.94) जनपदों में नगरीयकरण का प्रतिशत अधिक ही नहीं वरन् यह राज्य एवं राष्ट्रीय औसत (30.55 प्रतिशत एवं 31.16 प्रतिशत) से भी उच्च है।

ये व्यापार वाणिज्य के अतिरिक्त प्रशासनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा वृहद एवं विशिष्ट आर्थिक क्रियाकलापों तथा बैंकिंग, उद्योग, यातायात आदि के केन्द्र भी हैं। यही कारण है अधिकांश विकास खण्ड एवं तहसील मुख्यालयों की स्थापना के लिए नगरीय केन्द्र ही उपयुक्त समझे गये हैं, जहाँ कि अन्यान्य मूलभूत सुविधाओं का संकेन्द्रण भी पाया जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि आकार की दृष्टि से उत्तराखण्ड की कुल नगरीय जनसंख्या का लगभग 82 प्रतिशत से अधिक संकेन्द्रण अकेले इन चार जनपदों में वितरित नगरीय केन्द्रों में है। इसके विपरीत उत्तरी सीमा के चार सीमान्त जनपद क्रमशः उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, तथा पिथौरागढ़ में राज्य की कुल 5.26 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या का निवास है।

मध्यवर्ती पेट्टी जो कि भौगोलिक दृष्टिकोण से लघु हिमालयी कटिबन्ध है तथा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक दृष्टि से हिमालयी जनसंख्या के बसाव का महत्वपूर्ण रंगमंच है, आज भी निम्न नगरीयकरण की विशेषताओं को लक्षित करता है। चम्पावत (14.79), पौड़ी (16.41), टिहरी (11.37), अल्मोड़ा (10.02) एवं बागेश्वर (3.50) इसके उदाहरण हैं। इन पर्वतीय जनपदों में न्यून नगरीयकरण के साथ-साथ कुल नगरीय जनसंख्या के आकार का अंश भी अति अल्प 9 प्रतिशत से कुछ ही अधिक है। उत्तराखण्ड में नगरीयकरण की प्रक्रिया के क्षेत्रीय विस्तार में अधिसंख्य छोटे-छोटे कस्बों का योगदान महत्वपूर्ण है। हिमालय क्षेत्र में इनकी स्थानात्मक एवं आर्थिक वृद्धि

तथा ग्राम्यांचल से इनके प्रभावशाली अनुबन्धों के कारण संतुलित क्षेत्रीय विकास की रणनीति को बल मिला है।¹¹

उत्तराखण्ड के नगरीय जनसंख्या की अप्रत्याशित वृद्धि में वृहद् आकार के नगरीय केन्द्रों का प्रभावशाली योगदान महत्वपूर्ण है। देहरादून जो कि 1951 की जनगणना में प्रथम बार वर्ग एक के शहर (1,51,936) के रूप में प्रतिस्थापित हुआ आज भी राज्य में अपनी सर्वोच्च स्थिति बनाये हुये है। जनगणना 2011 के अनुसार द्वितीय प्रास्थिति वाले सभी केन्द्र सीमान्त नगरों के रूप में पूर्व से पश्चिम पर्वत-पदीय पेट्टी में विस्तृत है। यह इस तथ्य को भी पुष्ट करता है कि नगरीयकरण ने उत्तराखण्ड में आर्थिक विविधिकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। विगत एक दो दशकों में उत्तराखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में यातायात मार्गों के नवनिर्माण, तीव्र यातायात साधनों की पहुँच तथा अन्यान्य विकासीय अवस्थापनाओं एवं परम्परागत ग्रामीण कृषि व्यवस्था के बाजार अनुस्थापित अर्थव्यवस्था में शनैः-शनैः होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप क्षेत्रीय उत्पादन को निकटस्थ तक लाने की सुलभता ने नवीन बाजार केन्द्रों की स्थापना को गति प्रदान की है। इसमें अधिकांश बाजार केन्द्र मुख्य मार्गों पर विकसित हुए हैं। जनगणना में नगर क्षेत्रों के मानकों से विलग ये सभी समीपवर्ती ग्राम्यांचल के लिए सेवा केन्द्रों के रूप में वे सभी केन्द्रीय कार्यों को प्रदान करते हैं जो कि एक नगर केन्द्र/कस्बा करता है। इनके उद्भव में जहाँ स्थापना सुविधाओं की संकेन्द्रण की भूमिका महत्वपूर्ण है वहीं यह तथ्य भी विचारणीय है कि उत्तराखण्ड के पर्वतीय प्रभाग में मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा हाट/अस्थायी बाजार/विनिमय केन्द्रों की परम्परा नहीं है। फलस्वरूप उपयुक्त केन्द्रीय स्थानों पर सेवाओं/सुविधाओं के पुंजीकरण की प्रवृत्ति ने इनके उद्भव एवं विकास को गति प्रदान की है।

उत्तराखण्ड में नगरीयकरण की समस्याएँ एवं विकास की व्यूहरचना –

विगत कुछ दशकों में हिमालयी गाँवों में बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी एवं गाँवों की अगम्यता तथा अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से कृषि की दयनीय स्थिति का परिणाम है कि आबादी का नगर एवं कस्बों की ओर पलायन तेजी से बढ़ा। इस पलायन से न केवल नवजात कस्बों पर आबादी का दबाव बढ़ रहा है वरन् उनका मूलभूत ढांचा भी चरमराने लगा है। कस्बों एवं नगर केन्द्रों की बाह्य विकास की सीमाएँ भौगोलिक कारकों से अत्यन्त न्यून होती

हैं। फलस्वरूप कृषि एवं वन भूमि की ओर बढ़ती बसाव सीमा ने यहाँ पारिस्थितिक असंतुलन से उत्पन्न गम्भीर समस्याओं की तीव्रता में वृद्धि की है। पर्वतीय क्षेत्रों में मलिन बस्तियों की समस्या नहीं है तथापि सीमान्त क्षेत्रों जैसे भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र, तीव्र ढाल, नदी तटों वाले असुरक्षित एवं जोखिमपूर्ण पर्यावरणीय, भूगर्भिक संवेदनशील भू-भागों में नगरीयकरण का बसाव एवं फैलाव अनुशासित शहरी विकास की सबसे बड़ी चिन्ता है। इससे साथ ही नवीन कस्बों एवं बाजार केन्द्रों का उद्भव एवं मोटर मार्गों के समीप उनके अनियंत्रित, अनियोजित विकास एवं बसाव की वर्तमान प्रक्रिया उत्तराखण्ड में नगरीयकरण के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह है। उत्तराखण्ड के कुछ ब्रिटिश कालीन नगरों को छोड़ अधिकांश नगरों में पेयजल आपूर्ति, सफाई व्यवस्था, जलमल निस्तारण एवं अपशिष्ट विसर्जन तथा अन्य सार्वजनिक/नागरिक सुविधाएँ व्यवस्थित नहीं है।

यहाँ पर सुविधाएँ उपलब्ध भी हैं, वहाँ जनसंख्या के अतिशय दबाव के कारण इनमें अव्यवस्था तथा अपर्याप्तता के कारण संचालन अवरोध आ रहे हैं। नगरीय केन्द्र मुख्यतः हिमालयी भागों में अपने आकार में छोटे तथा तराई एवं भाबर में कुछ अपेक्षाकृत बड़े हैं। पर्वतीय नगरों की समस्याएँ असमाजिक, आर्थिक कम पर्यावरणीय अधिक हैं। जिसके लिए नगर विकास की नियामक एजन्सियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी जबकि भाबर एवं तराई के बड़े नगरों में नगरीय विस्तार के अनुरूप भविष्य की योजनाएँ बनायी जानी आवश्यक हैं। कस्बों एवं शहरों को सरकारें नहीं बनाती हैं। बुनियादी रूप से यह कार्य वहाँ के लोग करते हैं, परन्तु इनका विकास सामूहिक रचनात्मक कार्यों से होता है। विकासीय सुविधाओं के लिए प्रदत्त अनुदान, शहरी स्व-शासन विकेन्द्रीयकरण के सुधारात्मक कदमों में सरकार की भूमिका सहयोगी की अधिक होती है।

राज्य गठन के उपरान्त नगरीय विकास एवं मूलभूत नागरिक सेवा सुविधाओं के लिए तथा अवस्थापना विकास के लिए महायोजना तैयार करने का निर्णय लिया गया है। जिसके क्रियान्वयन में स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेगी। अनेक नगरों में विशेष क्षेत्र विनियमनमतिकरण योजना के अर्न्तगत भविष्य के अबंधित नगरीय विस्तार को अवरुद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। ताकि नगरों में पर्यावरणीय संकट को नियन्त्रित किया जा सके। नगर निकायों को सुदृढ़ करने के

साथ ही प्रदेश के सभी लोगों को रहने योग्य आवास उपलब्ध कराना भी राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में से है। राज्य के सभी कस्बों, शहरों की धरोहर और पर्यावरणी सम्पदा के संरक्षण पर बल देते हुए जीवन स्तर, उत्पादकता और सतत् विकास में वृद्धि पर सरकार को पर्याप्त ध्यान देना चाहिए।

सीमित भूमि संसाधन का अधिकाधिक अनुकूलतम उपयोग कर नागरिकों को आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन जैसी मौलिक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सुनियोजित विकास की दिशा में ठोस कार्य किये जाने की योजना आवश्यक है। राष्ट्रीय नीति के तहत सर्वांगीण नगरीय विकास के लिए भारत सरकार द्वारा जवाहर नेहरु राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवीकरण मिशन के अर्न्तगत उत्तराखण्ड के कुछ नगरों में लागू की जाने वाली महत्वाकांक्षी योजना, इस संवेदनशील राज्य के शहरी विकास की समस्याओं के निदान का अभिनव मॉडल प्रस्तुत करेगी।

कुमाऊँ के भाबर एवं तराई क्षेत्र में नगरीकरण : उद्भव एवं विकास

नगर यद्यपि किसी भी क्षेत्र अथवा प्रदेश की अर्थ व्यवस्था और सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का द्योतक होता है तथापि जनसंख्या का ग्रामीण तथा नगरीय विभाजन मूलतः जनसंख्या के व्यवसायगत संरचना के विभेद के कारण है। सैद्धान्तिक आधारों पर ग्रामीण जनसंख्या द्वारा विहित किये जाने वाले अधिसंख्य कार्य प्राथमिक प्रकृति के होते हैं, जबकि नगरीय संरचना में, द्वितीयक, तृतीयक, तकनीकी तथा उच्च सेवाओं की प्रधानता रहती है। नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या के स्वभाव में आजीविका, सामाजिक-आर्थिक अर्न्तसम्बन्धों के स्तर, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक जागरुकता एवं पर्यावरणीय यथार्थ आदि दृष्टिकोणों से भी मूलभूत अन्तर पाया जाता है। बोस के अनुसार—'जनांकिकीय (जनसंख्या की) दृष्टि से नगरीकरण समय के साथ-साथ कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के भाग में वृद्धि है।'¹² अतएव नगरीकरण जहाँ एक ओर महत्वपूर्ण आर्थिक परिघटना होती है और अर्थव्यवस्था के रुपान्तरण तथा सामाजिक गतिशीलता के धनात्मक पहलुओं को व्यक्त करती है वहीं विकास का प्रतीक भी स्वीकारी जाती है।

कुमाऊँ देश के उन विशेष क्षेत्रों में है जहाँ नगरीकरण की प्रक्रिया दीर्घकाल तक अत्यन्त मन्द रही है। इसके लिए उत्तरदायी कारकों की एक लम्बी फेहरिश्त बनायी जा सकती है। फिर भी इस क्षेत्र में प्रकृति की निष्पूरता एवं दुरुहता, जनसंख्या

की अल्पता एवं बिखरापन प्राथमिक जीवन निर्वाहक अर्थतंत्र, पर्वतीय समाज की परम्परागत सरलता, गतिहीनता एवं पर्वतीय क्षेत्रों के प्रति अगम्यता तथा असुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में शासन प्रशासन का उपेक्षापूर्ण व्यवहार आदि सम्मिलित हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कुमाऊँ में नगरीकरण कत्यूरी तथा चन्द शासकों की देन है। तत्कालीन नगरीकरण का स्वरूप अपनी प्रकृति में वर्तमान नगर तथा नगरीयकरण की संकल्पना से नितान्त पृथक रहा। यातायात मार्गों के पारगमन केन्द्र, नदी घाटियों के प्रारम्भिक निम्न केन्द्र, राजमहल अथवा प्रशासनिक केन्द्र के रूप में दुर्ग अथवा गढ़, भौगोलिक तथा आर्थिक दृष्टि से अनुकूलता वाले गाँव तथा मान्य धार्मिक स्थल के चारों ओर अपेक्षाकृत सघन मानवीय बसाव तथा अपेक्षित जीवन दशाओं वाले केन्द्रों को नगरीय केन्द्रों की मान्यता दी गयी। 19 वीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में अंग्रेजों की औपनिवेशिक विस्तारवाद की उत्कृष्ट इच्छा, बहुआयामी रूप में कुमाऊँ में उनके आगमन का कारण बनी।

इस क्षेत्र की वन्यता एवं नैसर्गिक सौन्दर्य का आकर्षण घुमन्तु अंग्रेजों के लिए मनमोहक ही नहीं था वरन् शीतोष्ण जलवायु की अनुकूलता ने यूरोप के समतुल्य औपनिवेशिक पर्वतीय स्थलों की स्थापना का सपना उनके आगे तैरा दिया। नगरीकरण के नवीन मापदंडों का आधार लेकर कुमाऊँ में नगर केन्द्रों की स्थापना का श्रेय अंग्रेजों को दिया जाना चाहिए। नगरीय केन्द्रों की स्थापना का यह उद्देश्य प्रशासनिक, धार्मिक, संसाधन विदोहन तथा औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप बाजार मूलक अर्थव्यवस्था का अनुस्थापन, जो भी रहा हो, रेल एवं सड़क यातायात की प्रगति ने 20 वीं सदी के प्रारम्भ तक, काशीपुर, हल्द्वानी-काठगोदाम, रामनगर, जसपुर, नैनीताल, रानीखेत तथा अल्मोड़ा को पुनः नगरीय केन्द्रों के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया।

20 वीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों तक अंग्रेजों द्वारा प्रारम्भ नगरीकरण की यह प्रवृत्ति देखने में जरूर आकर्षक हो, वास्तव में इससे कुमाऊँ के प्राकृतिक सम्पदा के विदोहन की गति में ही तीव्रता आयी क्योंकि नगरीकरण का यह स्वरूप केवल, अंग्रेजों की आदर्श आरामगाही सैनिक छावनियों, प्रशासनिक केन्द्रों तथा द्वार नगरों की स्थापना तक ही सीमित रहा। कुमाऊँ का एक बड़ा भूभाग इस प्रक्रिया से एकदम अछूता, अपने ग्रामीण परिवेश में ही आबद्ध रहा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कुमाऊँ में आधुनिक नगरीकरण, परम्परागत पर्वतीय समाज तथा अर्थव्यवस्था से कभी

भी सामन्जस्य स्थापित नहीं कर पाया और न ही इसके दूरगामी एवं प्रभावशाली अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए। यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सत्तर के दशक तक न ही नगर केन्द्रों की प्रगति और न ही नगरीय जनसंख्या की वृद्धि ही प्रभावशाली रही।

कुमाऊँ के भाबर एवं तराई क्षेत्रों के नगरों की नगरीय प्रास्थिति एवं प्रथम जनगणना वर्ष से कुमाऊँ के भाबर एवं तराई क्षेत्र के नगरों के उद्भव के इतिहास की स्थिति स्पष्ट होती है। कुमाऊँ के भाबर एवं तराई क्षेत्र के नगरों के जनगणना के अनुसार नगरीय अस्तित्व में आने के वर्ष पृथक-पृथक हैं –

कुमाऊँ में भाबर क्षेत्रों के नगरों की प्रास्थिति एवं स्थापना / जनगणना वर्ष –

सारणी संख्या 3.2

नगर का नाम	वर्तमान नगरीय प्रास्थिति	जनपद	स्थापना / जनगणना वर्ष
रामनगर	नगरपालिकापरिषद	नैनीताल	1901
हल्द्वानी-काठगोदाम	नगर निगम	नैनीताल	1885
टनकपुर	नगरपालिकापरिषद	चम्पावत	1971
कालाढुंगी	नगर पंचायत	नैनीताल	वर्ष 1901 में नगर 1911-1971 में नगरीय मान्यता निरस्त वर्ष 1981 से पुनः नगर
लालकुंआ	नगर पंचायत	नैनीताल	1981
बनबसा	जनगणना कस्बा	चम्पावत	1991

Source – Census of India 1991 Series 25 Uttar Pradesh Part IX – A Town Directory, Direction of census operation U.P.

भाबर एवं तराई में नगरीयकरण में रेलमार्गों का निर्माण महत्वपूर्ण घटक रहा है। हल्द्वानी-काठगोदाम नगर में वर्ष 1882 में रेल लाइन स्थापित एवं वर्ष 1885 में टाउन एरिया घोषित हुआ तथा वर्ष 1897 में म्यूनिसिपैल्टी की स्थापना हुयी। रामनगर वर्ष 1850 में स्थापित हुआ तथा वर्ष 1905-1906 में रेल का आगमन हुआ। टनकपुर नगर वर्ष 1880 में बसाया गया। वर्ष 1909-1910 में प्रथम बार रेल का आगमन हुआ। कालाढुंगी नगर वर्ष 1882-83 से पूर्व तहसील मुख्यालय था।¹³

कुमाऊँ में तराई क्षेत्रों के नगरों की प्रास्थिति एवं स्थापना जनगणना वर्ष –

सारणी संख्या 3.3

नगर का नाम	वर्तमान नगरीय प्रास्थिति	जनपद	स्थापना/जनगणना वर्ष
काशीपुर	नगर निगम	ऊधम सिंह नगर	1901 / 1872
जसपुर	नगरपालिकापरिषद	ऊधम सिंह नगर	1901 / 1856
रुद्रपुर	नगर निगम	ऊधम सिंह नगर	1961
बाजपुर	नगरपालिकापरिषद	ऊधम सिंह नगर	1981
गदरपुर	नगरपालिकापरिषद	ऊधम सिंह नगर	1981
किच्छा	नगरपालिकापरिषद	ऊधम सिंह नगर	1981
खटीमा	नगरपालिकापरिषद	ऊधम सिंह नगर	1981
सितारगंज	नगरपालिकापरिषद	ऊधम सिंह नगर	1981
महुवाखेड़ा-गंज	नगर पंचायत	ऊधम सिंह नगर	1991
केलाखेड़ा	नगर पंचायत	ऊधम सिंह नगर	1991
सुल्तानपुर पट्टी	नगर पंचायत	ऊधम सिंह नगर	1991
महुवाडाबरा हरिपुरा	नगर पंचायत	ऊधम सिंह नगर	1991
दिनेशपुर	नगर पंचायत	ऊधम सिंह नगर	1991
शक्तिगढ़	नगर पंचायत	ऊधम सिंह नगर	1991
नगला	जनगणना कस्बा	ऊधम सिंह नगर	1991
बन्डिया	जनगणना कस्बा	ऊधम सिंह नगर	2001
कचनाल गुसाईं	जनगणना कस्बा	ऊधम सिंह नगर	2001

Source – Census of India 1991 Series 25 Uttar Pradesh Part IX – A Town Directory, Direction of census operation U.P.

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1901 में कुमाऊँ के भाबर क्षेत्र के नैनीताल जनपद में 3 क्षेत्र क्रमशः हल्द्वानी-काठगोदाम, रामनगर तथा कालाढूंगी तथा तराई क्षेत्र के 30 जनपद के काशीपुर तथा जसपुर नगरीय रूप में अस्तित्व में आये, अंग्रेजों का कुमाऊँ पर अधिकार होने पर अंग्रेजों ने तराई जिले का गठन किया। सन् 1891 में नैनीताल जिले के गठन होने पर रुद्रपुर सहित तराई जिले के अन्य परगने नैनीताल जिले में सम्मिलित हुए। लेकिन कालाढूंगी टाउन एरिया की वर्ष 1911 में नगरीय मान्यता निरस्त हो गयी, (वर्ष 1911 से 1971 के पश्चात्) पुनः वर्ष 1981 में कालाढूंगी को नगरीय क्षेत्र घोषित कर टाउन एरिया कमेटी कालाढूंगी का गठन किया गया। वर्ष 1981 में नोटिफाइड एरिया कमेटी लालकुंआ का गठन किया गया।¹⁴

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त रुद्रपुर कस्बा नैनीताल जिले के अन्तर्गत तराई में विकास की गतिविधियों का महत्वपूर्ण केन्द्र बना। जहाँ तक आजादी के बाद यहाँ बसाये गये गैर-पहाड़ी पाकिस्तानी विस्थापितियों की समस्या का सवाल है, तराई को केवल देश के विभाजन से विस्थापित होने वाले पाकिस्तान से आए पंजाबियों को शरण देने के लिए ही नहीं बसाया गया था, बल्कि इसकी बसावत की योजना 1943 में तराई भाबर के तत्कालीन अधीक्षक जे.डब्ल्यू. रसेल के समय में ही तैयार हो चुकी थी। ब्रिटिश सरकार ने दूसरे विश्वयुद्ध से लौटने वाले कुमाऊँ और गढ़वाल के भूपूर्व सैनिकों को तराई में बसाने की योजना बनायी थी।¹⁵

वर्ष 1947 में कालोनाइजेशन आयोग की स्थापना की गई। आयोग के अध्यक्ष तत्कालीन संयुक्त प्रान्त के मुख्यमंत्री पं० गोविन्द बल्लभ पंत थे। तराई क्षेत्र की जलवायु, वन सम्पदा, जन स्वास्थ्य तथा अन्य पहलुओं का विस्तृत अध्ययन और सर्वेक्षण करने के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया गया। योजना के तहत लालकुंआ और किच्छा के पश्चिम और काशीपुर के पूर्वी क्षेत्र वाले 50 हजार एकड़ भूमि क्षेत्र का चुनाव किया गया। मौजूदा रुद्रपुर इस कालोनाइजेशन स्कीम का मुख्यालय बनाया गया। कालोनाइजेशन स्कीम अपने मूल स्वरूप में लागू हो जाती, इससे पहले ही अगस्त 1947 में हुए देश के विभाजन के चलते पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को बसाने की विकराल समस्या सामने आ गयी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में संयुक्त प्रांत के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविन्द बल्लभ पंत शरणार्थियों की एक बड़ी संख्या को तराई में बसाने के लिए सहमत हो गये। सन् 1951-52 में पश्चिम पाकिस्तान से आये ऐसे 3000 पंजाबी परिवारों को तराई में बसाया गया। इन परिवारों को 15-15 एकड़ भूमि आंबटित की गई। पश्चिमी पाकिस्तान के साथ ही विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान से आये लगभग 1300 बंगाली परिवारों को भी तराई में बसाया गया था।

इन विस्थापितियों के लिए दिनेशपुर में 37 कालोनियां बनाई गईं और प्रति परिवार 8, 5 और 4 एकड़ भूमि आंबटित की गई। पूर्वी पाकिस्तान से आये 1300 अन्य बंगाली परिवारों को तराई के दूसरे छोर में सितारगंज के निकट शक्ति फार्म में बसाया गया। वर्ष 1961 में रुद्रपुर को टाउन एरिया घोषित किया गया। सन् 1964 में शरणार्थी

पुनर्वास योजना के तहत रुद्रपुर में एक ट्रांजिट कैम्प की स्थापना की गई, जिसमें 2000 शरणार्थियों को इसके पास ही भूमि आंबटित कर स्थायी रूप से बसाया गया।

अचानक तराई में बसने के लिए लोगों में इतना आकर्षण पैदा हुआ कि बिहार और पूर्वी उ०प्र० के लोग भी भू०पू० सैनिकों तथा स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का प्रमाण पत्र लेकर यहां बसने लगे। सन् 1950 में देश के विभिन्न इलाकों से यहां आने वाले लोगों का सिलसिला इतना तेज हुआ कि वर्ष 1951-1961 के बीच उ०प्र० के नैनीताल जिले के तराई क्षेत्र की जनसंख्या में 73.10 प्रतिशत वृद्धि हुई। तराई क्षेत्र बनने और मिटने की एक लम्बी यात्रा तय कर 26, सितम्बर, 1995 को एक मुकाम पर पहुँचा। प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने रुद्रपुर में आयोजित एक सिक्ख सम्मेलन में इसी दिन 174 कि०मी० लम्बे तथा 15 से 20 कि०मी० चौड़े टनकपुर से जसपुर तक के तराई क्षेत्र को कुमाऊँ मण्डल का चौथा प्रदेश का 68 वाँ जिला ऊधमसिंह नगर घोषित कर तराई वासियों की एक दशक लम्बी मांग को स्वीकार कर खुशियाँ बिखेर दी। वर्ष 1971 में कुमाऊँ के भाबर क्षेत्र में चम्पावत जनपद के टनकपुर नगर को नगरपालिका परिषद का दर्जा मिला तथा वर्ष 1991 की जनगणनानुसार भाबर क्षेत्र के बनबसा को जनगणना कस्बा का दर्जा मिला।

कुमाऊँ के तराई क्षेत्र में वर्ष 1981 में ऊधम सिंह नगर जनपद में अन्य नगरों का भी गठन हुआ, जिसमें गदरपुर, बाजपुर, किच्छा, खटीमा तथा सितारगंज नगर शामिल थे। वर्ष 1991 में तराई क्षेत्र के ऊधम सिंह नगर जनपद में कुछ छोटे कस्बों को नगर पंचायतों में परिवर्तित किया गया जिसमें महुवाखेड़ागंज, महुवाडाबरा हरिपुरा, दिनेशपुर, केलाखेड़ा, सुल्तानपुर पट्टी, शक्तिगढ़ और नगला शामिल थे। वर्ष 2001 में बन्डिया और कचनाल गुसाईं कस्बों को भी जनगणना कस्बे में परिवर्तित कर दिया गया। इस प्रकार से कुमाऊँ के भाबर एवं तराई क्षेत्र में कुल 23 नगरीय इकाईयां अस्तित्व में आयी। वर्ष 2011 की नगरीय जनसंख्या में वृद्धि तथा व्यवसायिक संरचना में कार्य विस्तार के कारण कुमाऊँ के भाबर एवं तराई क्षेत्रों की 3 नगरपालिका परिषदें क्रमशः हल्द्वानी-काठगोदाम, काशीपुर तथा रुद्रपुर को नगर निगम में परिवर्तित कर दिया गया है। जिससे कुमाऊँ के भाबर क्षेत्र में वर्ष 2011 की नगरीय इकाईयों में 1 नगर निगम, 2 नगरपालिका परिषदें, 2 नगर पंचायतें तथा 1 जनगणना कस्बा है। कुमाऊँ के तराई क्षेत्र में वर्ष 2011 की नगरीय इकाईयों में 2 नगर निगम, 6

नगरपालिका परिषदें, 6 नगर पंचायतें तथा 3 जनगणना कस्बें हैं। कुमाऊँ के भाबर एवं तराई क्षेत्र में कुल मिलाकर 19 नगरीय इकाईयाँ तथा 4 जनगणना कस्बें हैं।

कुमाऊँ के भाबर एवं तराई नगरीय केन्द्रों की जनसंख्या – (1971–2011)

सारणी संख्या – 3.4

भाबर क्षेत्र

नगर का नाम	नगरीय प्रास्थिति	जनगणना वर्ष				
		1971	1981	1991	2001	2011
रामनगर	नगरपालिकापरिषद	17,495	26,013	37,281	47,099	54,787
*हल्द्वानी-काठगोदाम	नगर निगम	52,205	77,300	1,04,195	1,29,140	1,54,208
टनकपुर	नगरपालिकापरिषद	6,003	8,818	13,110	15,810	17,626
कालाढुंगी	नगर पंचायत	—	3,112	4,663	6,126	7,611
लालकुआ	नगर पंचायत	—	3,155	5,310	6,524	7,644

तराई क्षेत्र

काशीपुर	नगर निगम	33,457	51,773	69,870	92,978	1,21,610
जसपुर	नगरपालिकापरिषद	13,186	21,242	30,831	39,048	50,523
*रुद्रपुर	नगर निगम	25,175	34,658	61,067	88,815	1,39,074
बाजपुर	नगरपालिकापरिषद	—	11,366	16,857	21,782	25,524
गदरपुर	नगरपालिकापरिषद	—	6,315	9,487	13,638	19,301
किच्छा	नगरपालिकापरिषद	—	13,606	21,131	30,517	41,966
खटीमा	नगरपालिकापरिषद	—	8,443	11,245	14,378	15,093
सितारगंज	नगरपालिकापरिषद	—	9,697	16,704	21,943	29,965
महुवाखेड़ा-गंज	नगर पंचायत	—	—	6,614	8,859	12,584
केलाखेड़ा	नगर पंचायत	—	—	5,025	7,783	10,929
सुल्तानपुर पट्टी	नगर पंचायत	—	4,769	5,866	7,713	9,881
महुवाडाबराहरपुरा	नगर पंचायत	—	—	5,367	6,110	7,326
दिनेशपुर	नगर पंचायत	—	—	6,099	8,856	11,343
शक्तिगढ़	नगर पंचायत	—	—	3,845	4,776	6,314

Source – Census of India 1991 Series 25 Uttar Pradesh Part rx – A Town Directory, Direction of census operation U.P. & Census 2011.

*(वर्तमान अध्ययन हेतु चयनित नगरीय केन्द्र)

सारणी संख्या 3.5 से स्पष्ट होता है कि स्वतन्त्रता के उपरान्त तराई तथा भाबर क्षेत्रों में शरणार्थी जनसंख्या के पुर्नवास, मलेरिया उन्मूलन, कृषि भूमि विस्तार तथा आधुनिकीकरण तथा संस्थागत एवं असंस्थागत अवरचना सुविधाओं की प्रगति से सम्बन्धित किया जा सकता है। बाद के चालीस वर्षों में, मन्थर गति से बढ़ती हुई कुमाऊँ के तराई-भाबर की नगरीय जनसंख्या में एकाएक आयी तीव्रता (1961 के उपरान्त) भारत-चीन युद्ध (1962) के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र की सामरिक

संवेदनशीलता एवं पर्वतीय विकास की ओर सरकार के ध्यानाकर्षण के फलस्वरूप यातायात मार्गों के निर्माण, सेवा-सुविधाओं की स्थापना तथा बाजार मूलक अर्थव्यवस्था, कृषि के आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरण के लिए किये जाने वाले प्रयासों के परिणामतः जीवन दशाओं की प्रगति से सम्बन्धित हैं।

इसका परिणाम यह हुआ कि 1961 से 1991 के मध्य मात्र 30 वर्षों में नगर निवासियों की निरपेक्ष संख्या के आकार में 4.56 लाख से अधिक की वृद्धि हो गयी। विभिन्न दशकों में नगरीय वृद्धि के तुलनात्मक विभेद भी अत्यन्त रुचिकर परिघटनाओं को लक्षित करते हैं। 20 वीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों से वर्तमान अन्तिम दशक तक नगरीकरण की सर्वाधिक बढ़ोत्तरी 1971-81 दशक के मध्य लक्षित होती है। इस दशक में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के वृद्धि का आकार न केवल सर्वाधिक 4.78 प्रतिशत अंकित हुआ वरन् नगरीय जनसंख्या के दशाब्दिक परिवर्तन में भी रिकार्ड वृद्धि 71.31 प्रतिशत देखी गयी। इस अवधि में 10 नवीन नगरीय केन्द्रों का उदय हुआ जिसमें 3 भाबर तथा 7 केन्द्र तराई में सम्मिलित हुए।

कुमाऊँ का भाबर एवं तराई क्षेत्र में नगरीकरण का प्रतिशत अधिक ही नहीं वरन् यह राज्य एवं राष्ट्रीय औसत (30.55 प्रतिशत एवं 31.16 प्रतिशत) से भी उच्च है। इन नगरों की जनसंख्या में हो रही वृद्धि नगरीकरण को बढ़ावा दे रही है। जनसंख्या का यह प्रतिशत दिनप्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। नगरीकरण होने से नगरों की समस्या भी बढ़ रही हैं। जिसमें मलिन बस्तियों की वृद्धि भी एक समस्या है। शोध के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ कि नगरीकरण से बढ़ती हुई इन समस्याओं में विशेष रूप से मलिन बस्तियों के निवासियों की समस्या का समाधान करें जिससे अध्ययन क्षेत्र के नागरिक एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें।

कुमाऊँ के भाबर एवं तराई क्षेत्रों में नगरीकरण की विशेषताएँ एवं निष्कर्ष :-

उत्तराखण्ड में कुमाऊँ की दक्षिणी सीमा पर तराई एवं भाबर के लगभग 21 प्रतिशत भू-भाग की पट्टी में जहाँ कि कुमाऊँ की 68 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, सम्पूर्ण कुमाऊँ के 60 प्रतिशत से अधिक नगरीय केन्द्र तथा 87.61 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या मिलती है। जबकि अवशेष 79 प्रतिशत पर्वतीय भूभाग जो कि मात्र 32 प्रतिशत जनसंख्या का निवास क्षेत्र है, आज भी नगरीकरण की प्रक्रिया (12.39) से अप्रभावित सा है।

जनगणना वर्ष 2011 में कुमाऊँ के भाबर क्षेत्र हल्द्वानी-काठगोदाम नगर निगम तथा कुमाऊँ के तराई क्षेत्र रुद्रपुर नगरनिगम की नगरीय जनसंख्या के अनुपात में तीव्र वृद्धि देखी गयी है। इन दोनों ही नगरों में हो रहे तीव्र नगरीकरण से नगर के विकास के साथ-साथ नगर में मलिन बस्तियों का विस्तार भी हो रहा है। नगर में व्याप्त इन मलिन बस्तियों और यहाँ के निवासियों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि कुमाऊँ के भाबर एवं तराई क्षेत्र के इन दोनों ही नगरों में मलिन बस्तियों के फैलाव को अवरुद्ध करते हुए नगरीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कुमाऊँ के भाबर एवं तराई क्षेत्रों में नगरीकरण के परिवर्तनीय स्वरूप की उक्त व्याख्या के उपरान्त निम्नांकित निष्कर्षों पर पहुँचा जा सकता है :-

- 1- यद्यपि नगरीकरण जीवन दशाओं के आधुनिकीकरण तथा विकास का प्रतीक है और अर्थव्यवस्था के रुपान्तरण को व्यक्त करता है तथापि कुछ अपवादों को छोड़ कर कुमाऊँ के भाबर एवं तराई क्षेत्रों के अधिसंख्य नगरीय केन्द्र आज भी परम्परागत अर्थव्यवस्था तथा भौगोलिक आवद्धता के प्रतीक है, जो कि जनसंख्या विशेषज्ञों के अनुसार अविकसित अर्थ व्यवस्था का प्रतीक है।
- 2- कुमाऊँ के भाबर एवं तराई क्षेत्रों में विगत दो दशकों में छोटे-छोटे नगरीय केन्द्रों का उद्भव हुआ है। फलस्वरूप नगरीय जनसंख्या में वृद्धि तथा व्यवसायिक संरचना में द्वितीयक तथा तृतीयक कार्यों का भाग बढ़ा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सुविधा, ने अप्रशिक्षित कार्यशील जनसंख्या के पलायन को बढ़ावा दिया है तथापि आधुनिकीकरण की जारी प्रक्रिया तथा नगरीय आकर्षण से शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण श्रम शक्ति के प्रवास ने कहीं-कहीं द्विपक्षीय दबाव एवं तनावों को भी मुखर किया है।
- 3- कुमाऊँ के भाबर एवं तराई क्षेत्र के नगर अपनी उत्पत्ति में स्वयंभू हैं तथा वे अपनी नगरीय प्रदेश की अर्थव्यवस्था, समाज एवं संस्कृति का सही अर्थों में प्रतिनिधित्व करते हैं तथापि सांस्कृतिक संमिश्रण से उत्पन्न परिवर्तनों के कारण सामाजिक प्रदूषण की चपेट में आ रहे हैं।
- 4- कुमाऊँ के भाबर एवं तराई क्षेत्र के सभी नगर अनियोजित नगरीकरण के दुष्प्रभावों से ग्रसित हैं। फलस्वरूप स्वास्थ्य एवं सफाई, जल, मल विर्सजन, पेयजल आदि मूलभूत सुविधाओं की यथोचित व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं।

5- कुमाऊँ के भाबर एवं तराई नगरों में सम्बन्धित नगरीकरण ने समीपवर्ती भूमि उपयोग को प्रभावित किया है। वन, कृषि भूमि तथा उपयोगी भूमि के क्रमशः हास से पारिस्थितिकीय असंतुलन उत्पन्न हुआ है।

3.2 चयनित नगरीय क्षेत्रों के उद्भव एवं विकास के ऐतिहासिक वृत्त -


उत्तराखण्ड के भाबर एवं तराई क्षेत्र की चयनित दो नगरीय इकाईयाँ उभर कर सामने आयी हैं। जिनमें इन नगरों के मलिन बस्तियों के परिवारों की समस्या मुख्य है। इन दोनों ही नगरीय इकाईयों की मलिन बस्तियों के परिवारों के अध्ययन से पहले इन नगरों के उद्भव एवं विकास के ऐतिहासिक वृत्त को जान लेना आवश्यक है।

कुमाऊँ के भाबर क्षेत्र का चयनित नगर का सामान्य विवरण -

1- हल्द्वानी-काठगोदाम नगर निगम -

हल्द्वानी-काठगोदाम नगर जनपद मुख्यालय नैनीताल के दक्षिण में व पर्वतीय शृंखलाओं के तलहटी में गौला नदी के पश्चिमी भाग में भाबर क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है। हल्द्वानी न केवल महत्वपूर्ण प्रशासनिक नगर है, अपितु कुमाऊँ मण्डल में आने वाले पर्यटकों का मुख्य प्रवेश द्वार होने के साथ यह नगर सम्पूर्ण कुमाऊँ क्षेत्र की वाणिज्यिक व अन्य आवश्यक सेवाओं की पूर्ति भी करता है। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार इस नगर से सटे हुए कुछ क्षेत्रों (बाह्य वृद्धि के क्षेत्रों को भी) नगरीय जनसंख्या में समाविष्ट किया गया किन्तु सम्पूर्ण आवासीय क्षेत्र नगरनिगम की सीमान्तर्गत नहीं था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नगर निगम की बाह्य सीमाओं में कुल 11 बाह्य वृद्धि क्षेत्रों तथा हल्द्वानी तली, मुखानी एवं फतेहपुर नाम से तीन जनगणना कस्बों को समाविष्ट करते हुए इसकी जनसंख्या 2,01,461 है। जबकि नगर निगम की कुल जनसंख्या 1,54,208 है।

हल्द्वानी-काठगोदाम नगर निगम (2011)



मानचित्र संख्या- 3.1

उद्भव एवं विकास –

ई0टी0 एटकिंसन ने हल्द्वानी का उल्लेख इस प्रकार किया है— यह छखाता-भाबर की महत्वपूर्ण मंडी है जो 29°12' आक्षांश और 79°34' देशान्तर पर समुद्र-सतह से 1'434 फीट की ऊँचाई पर बरेली-रानीबाग सड़क पर नैनीताल से 16 मील की दूरी पर है। यह नाम आस-पास 'हल्दू' वृक्षों की बहुतायत के कारण पड़ा है। वर्ष 1881 में यहाँ की आबादी मुख्यतः व्यापारियों की थी। हल्द्वानी की स्थापना वर्ष 1834 में मि0 ट्रेल ने पहाड़ के उन लोगों के लिए मंडी के रूप में की थी जो वर्ष में कुछ महीने भाबर में रहते थे। वर्ष 1850 से यहां के घास-फूस के छप्परों का स्थान चिनाई वाले मकानों ने ले लिया है और आस-पास काफी दूर तक जंगल काट दिये जाने से जलवायु में सुधार को देखते हुए आबादी स्थायी तौर पर यहां रहने लगी है।¹⁶

यहां से सड़क पहाड़ों की तलहटी से होते हुए नौगांव और जमपोखरी के रास्ते चोरगलियां पहुंचती है जो हल्द्वानी में 14 मील दूर है। इसके पूरब में पहाड़ों से नन्धौर नदी निकलती हैं। सन् 1937 तक हल्द्वानी नगर भाबर की सबसे बड़ी मण्डी का रूप ले चुका था। बीसवीं सदी के अन्त तक हल्द्वानी व काठगोदाम में रेल, तार, डाकघर व स्कूलों की सुविधाएं उपलब्ध हो गयी थीं। हरे-भरे घने जंगलों से कंक्रीट के जंगल में बदल चुका कस्बा हल्द्वानी अपने शुरु के दिनों में लकड़ी व्यापार का बड़ा केन्द्र था। सन् 1937 में हल्द्वानी की आबादी लगभग 12 हजार थी। हल्द्वानी से अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल और भवाली को मोटर गाड़ियां चलने लगीं थी इसलिए गर्मियों में पर्यटकों के आने-जाने के कारण हल्द्वानी में दुकानों की संख्या बढ़ती गयी।

पं0 बट्टीदत्त पाण्डे के अनुसार हल्द्वानी में "एक अंग्रेजी मिडिल स्कूल भी सन् 1831 में ला0 बाबूराम जी के धन से बना। 1885 में यहां टाउन ऐक्ट जारी हुआ। 1 फरवरी 1897 को यह म्यूनिसिपैलिटी बनाई गई, पर 1904 में यह नोटीफाइड एरिया करार दी गई। रेल 24 अप्रैल 1884 को आई, रेल आने से काठगोदाम कहलाया। साथ ही लकड़ी का गोदाम होने से भी यह काठगोदाम कहलाया। हल्द्वानी से जुड़ा काठगोदाम रेल का अन्तिम स्टेशन है। पहले यह बमौरी दर्रा कहलाता था। अब यह एक छोटी बस्ती है।

सन् 1913-14 में यहाँ लार्ड हाडिंग द्वारा एक बड़ा पुल गौला नदी पर बना, जो सीमेंट व कंकड़ का बना है जो 350 फुट लंबा है। उसमें सड़क के साथ गौला-पार भाबर को नहर भी जाती है। कालान्तर में कुछ विभागों के अधिकारियों के आवासीय परिसर हल्द्वानी में निर्मित होने के फलस्वरूप नैनीताल की भांति हल्द्वानी भी प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर बन गया। जनसंख्या की दृष्टि से हल्द्वानी-काठगोदाम कुमाऊँ का सबसे बड़ा नगर है। हल्द्वानी-काठगोदाम के लिए ब्रिटिश शासन काल में अवध एण्ड रुहेलखण्ड रेलवे द्वारा रेल सेवाएं प्रारम्भ की गई थी।

स्वतंत्रता पश्चात् प्रशासनिक गतिविधियों, एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के सृजन व अपनी केन्द्रीय स्थिति के फलस्वरूप यह नगर तीव्र गति से विकसित होता गया। तहसील मुख्यालय के साथ-साथ यहाँ पर अनेक केन्द्र सरकार के कार्यालय व राज्य सरकार के मण्डल स्तर के कार्यालय स्थापित होने के कारण नगर में सामुदायिक सुविधाओं, वाणिज्यिक गतिविधियों व यातायात के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी तीव्र वृद्धि हुई। श्रेष्ठ भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ पर जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ रहा है। जिसके फलस्वरूप नगर का विस्तार बहुत तीव्र गति से जारी है।¹⁷

वर्तमान समय में इसका भौतिक विकास मुख्यतः प्रमुख मार्गों के दोनों तरफ पट्टिका के रूप में हुआ है। पूरब की ओर गौला नदी के एक भौतिक अवरोधक के रूप में विद्यमान होने के कारण नगर का विस्तार इस ओर सीमित रहा। वर्तमान में विभिन्न कार्यालय एवं सरकारी आवासीय कालोनियों के स्कीमों द्वारा काठगोदाम, चोरगलिया मोटरमार्ग के सहारे विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। साथ ही नगरीय क्षेत्र के उत्तर में पर्वतीय शृंखला एवं उत्तर-पश्चिम में वन क्षेत्र हाने के फलस्वरूप से भी विकास इस ओर सम्भव नहीं है। परन्तु दक्षिण-पश्चिम दिशा में नगर का विस्तार निरन्तर गतिमान रहा है। उल्लेखनीय है कि गत दशकों में भौतिक विकास के अभूतपूर्व दबाव एवं सामाजिक, आर्थिक गतिविधियों के बहुआयामी विकास के फलस्वरूप निर्मित क्षेत्रों का विस्तार मुख्य रूप से मार्गों के किनारे फैलता हुआ वर्तमान विनियमित क्षेत्र की सीमा से बाहर भी होता जा रहा है। जिसे किसी विधिक व्यवस्था के अभाव में नियंत्रित

एवं नियोजित किया जाना संभव नहीं है। वर्तमान में मुख्य रूप से बरेली रोड, रामपुर रोड व कालाढूंगी रोड की ओर नगर का विस्तार गतिशील है।

भौतिक स्वरूप –

हल्द्वानी-काठगोदाम नगर की भू-भौतिकी एवं स्थलाकृति की दृष्टि से एक समतल भू-क्षेत्र है। इसका ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है। नगर में उत्तर-पूर्व में विद्यमान गौला नदी का बहाव दक्षिण दिशा को है जो नगर के जल निकास को इंगित करती है। नगर में अनेक नहरें भी विद्यमान हैं जो नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई का प्रमुख साधन हैं।

जलवायु-

किसी स्थान के सांस्कृतिक वातावरण के निर्माण में जलवायु का स्थान सर्वोपरि है। हल्द्वानी-काठगोदाम नगर भाबर क्षेत्र में स्थित होने के फलस्वरूप यहाँ की जलवायु उपोष्ण है।


हल्द्वानी-काठगोदाम नगर में मासिक तापक्रम (जनवरी-दिसम्बर) वर्ष 2011

सारिणी संख्या 3.5

महीने	तापक्रम (डिग्री से0ग्रे0)		औसत तापमान	औसत वर्षा (मिमी.)
	अधिकतम	न्यूनतम		
जनवरी	18.1	6.8	12.45	70.2
फरवरी	22.4	8.9	15.65	24.6
मार्च	29.3	12.6	20.95	61.5
अप्रैल	34.8	17.1	25.95	95.9
मई	40.0	23.0	31.5	111.5
जून	36.0	24.2	30.1	90.1
जुलाई	34.1	25.4	29.75	320.7
अगस्त	31.8	24.2	28.5	680.5
सितम्बर	32.2	23.8	28.0	310.0
अक्टूबर	31.6	18.4	25.0	40.1
नवम्बर	26.9	13.7	20.3	20.3
दिसम्बर	22.0	8.5	15.25	23.2

Source : Records of weather data of 2011 at G.B.Pant University of Agri. & Technology Pantnagar.

हल्द्वानी-काठगोदाम नगर में मासिक तापक्रम (वर्ष-2011)
हीदरग्राफ



आरेख संख्या 3.1

उपरोक्त सारणी से वर्ष 2011 में हल्द्वानी-काठगोदाम नगर के मासिक तापक्रम की जानकारी उपलब्ध होती है। यहाँ लगभग अधिकतम तापमान 40.0 डिग्री सेन्टीग्रेड व न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेन्टीग्रेड रहता है। यहाँ पर गर्मियों में कड़ी गर्मी तथा जाड़ों में सामान्य तापक्रम रहता है। सर्वाधिक वर्षा जुलाई और अगस्त महीनों में होती है। यहाँ वर्षा मुख्यतः मानसूनी वर्षा के रूप में होती है। ऋतु परिवर्तन के साथ-साथ हवाओं की दिशा में भी परिवर्तन होना स्वभाविक है। अप्रैल से जून तक हवाएं पश्चिम-उत्तर से दक्षिण-पूर्व की ओर एवं जुलाई से सितम्बर तक पूर्व-उत्तर से दक्षिण-पूर्व की ओर तथा अक्टूबर से दिसम्बर तक हवाएं उत्तर-पूर्व की ओर चलती है। अधिकांश वर्षा में वायु की दिशा उत्तर एवं उत्तर-पूर्व की ओर रहती है।

नगर का महत्व –

हल्द्वानी-काठगोदाम नगर पर्वतीय क्षेत्र का प्रवेश द्वार होने के साथ ही कुमाऊँ मण्डल का एक महत्वपूर्ण नगर है। हल्द्वानी नगर के दक्षिण भाग में कृषि योग्य उपजाऊ भूमि होने से साथ यहाँ पर अनाज/फल मण्डी भी विद्यमान है। इस मण्डी से कुमाऊँ के सम्पूर्ण पर्वतीय नगरों/क्षेत्रों में अनाज, चावल, फल, सब्जियों इत्यादि की आपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थ, दवाइयों, कपड़े आदि भी यहाँ से जाते हैं। हल्द्वानी नगर, कुमाऊँ मण्डल के लिए एक मण्डी टाउन के रूप में स्थापना रखता है। पर्वतीय नगरों से यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, अपेक्षाकृत अनुकूल होने एवं रोजगार के साथ ही अन्य सुविधाओं, सेवाओं की उपलब्धता के फलस्वरूप नगर का विस्तार बहुत तीव्र गति से हो रहा है।

हल्द्वानी-काठगोदाम नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत नगर नियोजन विभाग द्वारा वर्तमान में उपलब्ध शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, विद्युत के स्तर व वितरण के साथ-साथ यातायात-परिवहन संरचना के प्रारम्भिक अध्ययन हेतु विभिन्न सर्वेक्षण सम्पन्न किये गये। इन सर्वेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि नगरीय क्षेत्र में वर्तमान में उपलब्ध मौलिक संरचनात्मक ढाँचे का विकास ही स्थानीय जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुरूप तो नहीं हो पाया, अपितु इनकी सीमित उपलब्धता पर प्रवाहशील जनसंख्या के दबाव ने इस स्वरूप को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। यहाँ पर विभिन्न स्तर की लगभग 125 शिक्षण संस्थाएँ हैं। जिसमें 70 प्राइमरी स्कूल,

31 जूनियर हाईस्कूल, 2 जूनियर हाईस्कूल, 15 इण्टरमीडिएट विद्यालय, 2 महाविद्यालय, 2 प्रबन्ध संस्थान, 1 पालीटैक्निक तथा 4 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। वर्तमान समय में नगर में एक बेस अस्पताल व एक महिला अस्पताल है जिसमें महिला एवं मातृ परिवार कल्याण केन्द्र भी सम्मिलित है तथा 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं। नगर में एक क्षय रोग का चिकित्सालय भी विद्यमान है। नगर में वन विभाग का एक आधुनिक चैरिटेबिल अस्पताल 'डॉ. सुशीला तिवारी स्मारक वन चिकित्सालय' भी स्थापित किया गया है।

हल्द्वानी-काठगोदाम नगरीय क्षेत्र का वर्तमान भू उपयोग –

किसी भी प्रदेश के भूमि उपयोग का प्रतिरूप अनेक भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और आर्थिक कारकों से प्रभावित रहता है। इसके निर्धारण में ऐतिहासिक और राजनैतिक कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं।¹⁸ हल्द्वानी-काठगोदाम नगरीय क्षेत्र का वर्तमान भू उपयोग निम्न प्रकार है –


हल्द्वानी-काठगोदाम नगरीय क्षेत्र : वर्तमान भू उपयोग (2011)

सारिणी संख्या 3.6

क्रम संख्या	भू-उपयोग	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	प्रतिशत
1	आवासीय	2,071.00	32.49
2	वाणिज्यिक	51.20	0.80
3	कार्यालय	30.93	0.49
4	उद्योग	18.75	0.29
5	शैक्षिक	86.20	1.35
6	चिकित्सा	7.94	0.12
7	सामुदायिक सेवायें	46.32	0.73
8	मनोरंजन सुविधायें	38.20	0.60
9	धार्मिक	0.75	0.01
10	यातायात एवं परिवहन	86.10	1.35
11	वनक्षेत्र, सेना-विषयक और अन्य क्षेत्र	3,636.61	57.06
12	नदी, नाले, नहर आदि	300.00	4.71
	कुल	6,374.00	100.00

स्रोत – नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हल्द्वानी (2011)

हल्द्वानी-काठगोदाम नगरीय क्षेत्र : वर्तमान भू उपयोग (2011)



आरेख संख्या 3.2

हल्द्वानी-काठगोदाम नगर निगम एक सघन आबादी वाला भाग है, तथा नियोजित नीति के अभाव में इस नगर का विकास अव्यवस्थित एवं अनियोजित रूप से प्रमुख मार्गों के दोनों पार्श्वों में पट्टिका के रूप में होता जा रहा है। नगर के वर्तमान भू-उपयोग अध्ययन हेतु विभागीय भौतिक सर्वेक्षण से विदित होता है कि अन्य नगरों की भाँति हल्द्वानी-काठगोदाम नगर भी मिश्रित भू-उपयोग के स्वरूप में विकसित हुआ है। हल्द्वानी-काठगोदाम नगर निगम क्षेत्र को मुख्यतः निर्मित और खुले क्षेत्र के रूप में विभक्त किया गया है। निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत आवासीय, वाणिज्य, कार्यालय, उद्योग, यातायात, सामुदायिक सुविधायें एवं सेवायें आदि हैं। खुले क्षेत्र में मुख्यतः कृषि, बाग, बंजर भूमि, नाले, नहर आदि सम्मिलित हैं जिनका उपयोग नगर के भावी संभावित विकास हेतु किया जा सकता है।

हल्द्वानी-काठगोदाम नगर क्षेत्र में कुल 2071.00 हैक्टेयर भूमि आवासीय उपयोग के अन्तर्गत है जो कुल निर्मित क्षेत्र का 32.49 प्रतिशत है। वर्तमान नगर निगम क्षेत्र घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त बरेली रोड, कालाढूँगी रोड, रामपुर रोड के सन्निकट भी सघन व विरल रूप से आवासीय क्षेत्रों का विकास व विस्तार तेजी से हो रहा है। हल्द्वानी नगर का विकास प्रारम्भिक काल से ही एक व्यापारिक केन्द्र के रूप में हुआ है। वर्तमान में नगर के आन्तरिक मार्गों पर विद्यमान बाजार क्षेत्र तथा प्रमुख मार्गों के दोनों पार्श्वों में वाणिज्य उपयोग विद्यमान है। वाणिज्य उपयोग के अन्तर्गत, थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, पेट्रोल पम्प, होटल, बैंक, छविगृह आदि सम्मिलित हैं। वर्तमान विनियमित क्षेत्र में वाणिज्य भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल 51.20 हैक्टेयर भूमि है जो कुल निर्मित क्षेत्र का 0.80 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त नैनीताल मार्ग, बरेली मार्ग, कालाढूँगी मार्ग, रामपुर मार्ग के दोनों पार्श्वों में प्रमुख वाणिज्य स्थल स्थापित हैं। इन वाणिज्यिक स्थलों/केन्द्रों में माल उतारने व चढ़ाने के स्थलों का संकुचन, पार्किंग स्थलों व मार्गों पर व्यापारिक इकाइयों द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने से यातायात की सुचारु परिचलन प्रणाली में अवरोध उत्पन्न होता है।

यहाँ पर विभिन्न कार्यालयों के साथ-साथ केन्द्र एवं राज्य सरकार के अनेक महत्वपूर्ण कार्यालय स्थित हैं। विभागीय सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान समय में विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यालय उपयोग के अन्तर्गत 30.93 हैक्टेयर भूमि है जो कुल निर्मित क्षेत्र का 0.49 प्रतिशत है। औद्योगिक दृष्टिकोण से हल्द्वानी-काठगोदाम

नगर का कुमाऊँ मण्डल में प्रमुख स्थान है। कुटीर उद्योगों के अतिरिक्त यहाँ पर लघु एवं वृहद उद्योगों की भी स्थापना हुई। वर्तमान विनियमित क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों के अन्तर्गत कुल 18.75 हैक्टेयर भूमि है जो कुल निर्मित क्षेत्र का 0.29 प्रतिशत है। विभागीय सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर वर्तमान विनियमित क्षेत्र में सार्वजनिक सुविधाओं एवं उपयोगिताओं में प्रयुक्त कुल भूमि 179.41 हैक्टेयर भूमि है जो कुल निर्मित क्षेत्र का 2.81 प्रतिशत है।

इस महत्वपूर्ण भू-उपयोग के अन्तर्गत रामलीला पार्क, प्रदर्शनी मैदान तथा पुरातन मन्दिर, गुरुद्वारा, चर्च एवं मस्जिद आदि सांस्कृतिक उपयोगों के अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, जल-आपूर्ति, विद्युत-आपूर्ति, सुरक्षा, मनोरंजन, धार्मिक आदि अन्य सार्वजनिक सेवाओं एवं सुविधाओं को सम्मिलित किया गया है। हल्द्वानी-काठगोदाम नगर मुख्यतः रेल व सड़क यातायात से प्रदेश व देश के विभिन्न नगरों से सम्बद्ध है। वर्तमान में यातायात परिवहन के अन्तर्गत 86.10 हैक्टेयर भूमि है जो कुल निर्मित क्षेत्र का 1.35 प्रतिशत है। उक्त भू-उपयोग के अन्तर्गत रेल, बस अड्डा एवं सड़क यातायात के अन्तर्गत आने वाली भूमि सम्मिलित है। वर्तमान में वनक्षेत्र, सेना-विषयक और अन्य क्षेत्र के अन्तर्गत 3,636.61 हैक्टेयर भूमि है जो कुल निर्मित क्षेत्र का 57.06 प्रतिशत है, तथा नदी, नालों तथा नहर आदि क्षेत्र के अन्तर्गत 300.00 हैक्टेयर भूमि है जो कुल निर्मित क्षेत्र का 4.71 प्रतिशत है।

हल्द्वानी-काठगोदाम नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि-

नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम का कुल क्षेत्रफल 10.62 वर्ग कि०मी० है। हल्द्वानी-काठगोदाम नगर, जनसंख्या के दृष्टिकोण से कुमाऊँ मण्डल का सबसे विस्तृत नगर है। नगर की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि 1931-41 के दशक में मध्य हुई है। इसका मुख्य कारण इस नगर की व्यवसायिक गतिविधियों का विकास होना है। नगर की जनसंख्या में लगातार वृद्धि जारी है। वर्ष 1961 में इस नगर की जनसंख्या 38,032 थीं जो वर्ष 1981 में 77,300 हो गई। वर्ष 1971-81 के दशक में इस नगर की जनसंख्या 48.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण यहाँ पर कई औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना के फलस्वरूप यहाँ की व्यापारिक एवं आर्थिक क्रियाकलापों का विकास होना है। वर्ष 1981 से 1991 के दशक में जनसंख्या बढ़कर 1,04,195 व्यक्ति हो गयी।¹⁹

वर्ष 2001–2011 के दशक में जनसंख्या बढ़कर 1,54,208 व्यक्ति हो गयी है। वर्ष 2001–2011 के दशक में इस नगर की जनसंख्या 19.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अतः इस जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण बढ़ता हुआ व्यापार, नगर के वाणिज्य सम्बन्धी क्रियाकलापों में अत्यधिक प्रसार तथा औद्योगिक इकाइयों की संख्या में वृद्धि होना है।

मलिन बस्तियों की संख्या –

वर्ष 1991 में हल्द्वानी–काठगोदाम नगर पालिका परिषद में 2 मलिन बस्तियाँ थीं। जबकि वर्ष 2001 में मलिन बस्तियों की संख्या बढ़कर 11 हो गयी। वर्ष 2011 में हल्द्वानी–काठगोदाम नगरनिगम के कुल 25 वार्डों में कुल 9 मलिन बस्तियों का विवरण निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है।

हल्द्वानी–काठगोदाम नगर की मलिन बस्तियों का विस्तृत विवरण (2011)

सारिणी संख्या 3.7

क्रम संख्या	वार्ड संख्या एवं नाम	मलिन बस्ती का नाम	वार्ड की जनसंख्या	मलिन जनसंख्या (प्रतिशत)	वार्ड परिवारों की संख्या	स्लम परिवारों की संख्या (प्रतिशत)
1–	1. गॉधी नगर	गॉधी नगर, अम्बेडकरनगर	5,530	4,537 (82.0)	979	807 (82.43)
2–	2. राजेन्द्र नगर	राजेन्द्र नगर	8,528	8,528 (100)	1,696	1,696 (100)
3–	3. तल्ली बमौरी	कुल्यालपुरा	8,871	3,255 (36.7)	2,042	714 (34.96)
4–	4. टनकपुर रोड	जवाहर नगर	7,587	7,587 (100)	1,344	1,344 (100)
5–	5. रानीबाग काठगोदाम	नई बस्ती काठगोदाम	5,267	3,954 (75.0)	1,027	743 (72.35)
6–	7. हीरानगर	गुसाई नगर	4,795	826 (17.2)	980	134 (13.67)
7–	14. इन्द्रा नगर पश्चिम	इन्द्रा नगर पश्चिम	18,630	16,961 (91.0)	3,182	2,888 (90.76)
8–	21. इन्द्रानगर पूर्वी	इन्द्रा नगर पूर्वी	8,559	8,559 (100)	1,382	1,382 (100)
9–	24. नईबस्ती किदवई नगर	नई बस्ती किदवई नगर	6,491	1,999 (30.8)	1,100	349 (31.73)
	कुल योग	–	74,258 (100)	56,206 (75.7)	13,732 (100)	10,057 (73.24)

स्रोत – नगर निगम, हल्द्वानी। (कोष्ठक) में प्रतिशत अंकित है।

उपरोक्त तालिका से वर्ष 2011 में हल्द्वानी-काठगोदाम नगर निगम की मलिन बस्तियों में निवास करने वाली जनसंख्या तथा उनके परिवारों की संख्या का पता चलता है। जिसमें राजेन्द्र नगर वार्ड संख्या 2, टनकपुर रोड वार्ड संख्या 4 तथा इन्द्रा नगर पूर्वी वार्ड संख्या 21 के वार्ड के 100 प्रतिशत परिवार स्लम परिवार है। इन तीनों वार्डों को स्लम वार्ड कहा जा सकता है। वार्ड संख्या 1, वार्ड संख्या 5 एवं वार्ड संख्या 14 के लगभग 70 से 90 प्रतिशत परिवार स्लम के अन्तर्गत हैं।

कुमाऊँ का चयनित तराई नगरीय केन्द्र रुद्रपुर नगर निगम :-

स्थिति -


उत्तराखण्ड के कुमाऊँ मण्डल में जिला उधम सिंह नगर में कल्याणी एवं बहुगुल नदियों के मध्य उर्वर भूमि में रुद्रपुर नगर 28°58' उत्तरी अक्षांश एवं 79°7' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। कुमाऊँ हिमालय की तराई स्थिति के फलस्वरूप रुद्रपुर पर्वतीय क्षेत्रों एवं मैदानी भागों के मध्य वाणिज्यिक एवं व्यापारिक गतिविधियों का पराम्परागत केन्द्र रहा है। इसके अतिरिक्त कुमाऊँ मण्डल की तराई में बसे तथा निकटवर्ती मैदानी क्षेत्र के नगरों से सुगम सम्बद्धता रुद्रपुर नगर की प्रमुख भौगोलिक विशिष्टता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 खटीमा-पानीपत तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 दिल्ली-नैनीताल के द्वारा रुद्रपुर प्रदेश व राष्ट्र के प्रमुख नगरों से सम्बद्ध है।

ऐतिहासिक परिदृश्य -

ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार अकबर के शासन काल में राजा रुद्रचन्द्र 1567-96ईसवी को मुगल बादशाह ने तराई क्षेत्र, जिसे 'चौरासी माल' अथवा 'नौ लखिया माल' कहा जाता था, की जागीरदारी प्रदान की थी। राजा रुद्रचन्द्र ने चौरासीमाल की देखरेख हेतु न केवल अधिकारी नियुक्त किए बल्कि रुद्रपुर नाम से नया नगर भी बसाया। प्रोफेसर अजय एस0 रावत के अनुसार इस चौरासी माल में निम्न 7 परगने शामिल थे- 1- शहजगीर वर्तमान जसपुर 2- कोटा वर्तमान काशीपुर 3- मुण्डिया वर्तमान बाजपुर 4- गदरपुर 5- बुकसाड़ वर्तमान रुद्रपुर और किलपुरी 6- बकखी वर्तमान नानकमत्ता 7- चिनकी वर्तमान बहेड़ी।

रुद्रपुर नगर निगम (2011)

उत्तर
↑



वार्ड संख्या

- | | | |
|--------------------------|------------------|---------------------------|
| 1. जगतपुरा | 8. रम्पुरा मध्य | 15. इन्द्रा कालौनी |
| 2. ट्रांजिट कैम्प पूर्वी | 9. सीरगोटिया | 16. इन्द्रा कालौनी बंगाली |
| 3. संजय नगर | 10. गांधी कालौनी | 17. आदर्श कालौनी |
| 4. भदईपुरा | 11. मुख्य बाजार | 18. रवीन्द्रनगर |
| 5. खेड़ा | 12. भगत सिंह चौक | 19. आवास विकास पं० |
| 6. भूतबंगला | 13. डी 1 डी 2 | 20. आवास विकास पूर्वी |
| 7. रम्पुरा पूर्वी | 14. एस. आर. ए. | |

मानचित्र संख्या- 3.2

राजा बाजबहादुर चन्द (1638–1678) ईसवी के शासनकाल में तराई के परगना गर्वनरों को निर्देश थे कि वह सर्दियों में रुद्रपुर व बाजपुर में रहें। इतिहासकारों के अनुसार राजा दीपचन्द (1748–1777) के शासनकाल में रुद्रपुर में किला बनवाया गया किन्तु सन् 1764 में काशीपुर के लाट शिवदेवी जोशी के कत्ल के उपरान्त कुमाऊँ में राजनैतिक अस्थिरता पैदा हो गई थी। हालांकि तराई पर रोहिलों का अधिकार हो गया था किन्तु कुमाऊँ की राजनैतिक अस्थिरता के कारण पहाड़ी भू-भाग से जनसामान्य रुद्रपुर जाकर बसने लगे। अंग्रेजों का कुमाऊँ पर अधिकार होने पर अंग्रेजों ने तराई जिले का गठन किया। सन् 1870 में तराई में एटकिंसन के अनुसार सात परगने काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, किलपुरी, नानकमत्ता और बिलहरी सम्मिलित थे। सन् 1891 में नैनीताल जिले का गठन होने पर रुद्रपुर सहित तराई जिले के अन्य परगने नैनीताल जिले में सम्मिलित हुए।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त लगभग दो दशकों तक तराई में कृषि विकास की परियोजनाओं पर सरकार ने ध्यान केन्द्रित किया, फलस्वरूप रुद्रपुर कस्बा, विकास की गतिविधियों का महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया। पंजाब से आये हुए विस्थापितों को तराई में बसाया गया और दलदली बंजर भूमि कृषि उपज की महत्वपूर्ण मण्डी बनी। सन् उन्नीस सौ अस्सी के दशक में रुद्रपुर के समीप वर्ष 1976–77 में 12.43 एकड़ भूमि पर औद्योगिक आस्थान स्थापित कर रुद्रपुर के समीप औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की शुरुआत हुई। औद्योगिकीकरण व नगरीयकरण दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं। प्रायः द्वितीयक, आर्थिक क्रियाएं नगर केन्द्रों पर ही होती हैं। कालान्तर में रुद्रपुर के आस-पास काफी संख्या में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना हुई।

जिसका अनुकूल प्रभाव रुद्रपुर नगर के विकास पर पड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित प्रसिद्ध पंतनगर कृषि एवं प्राद्योगिकी विश्वविद्यालय भी रुद्रपुर कस्बे के समीप और रुद्रपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत है। तराई क्षेत्र का यह सबसे विकसित विकासखण्ड है, तराई क्षेत्र के अन्य विकासखण्डों की तुलना में यहाँ अधिक सुविधायें हैं। यहाँ सिडकुल की स्थापना होने से यह विकासखण्ड औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। यहाँ 400–500 के लगभग उद्योग स्थापित हैं, जिससे हजारों बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। रुद्रपुर कस्बा सन् 1994 में उधमसिंह नगर का गठन होने पर जिला मुख्यालय बना। इस कस्बे की जनसंख्या वर्ष 1991 एवं 2001 में काशीपुर से

कम थी। परन्तु क्षेत्रफल की दृष्टि से यह कस्बा नैनीताल जिले का और अब उधमसिंह जिले का भी सबसे बड़ा नगर है। जिला मुख्यालय होने के बावजूद वर्ष 2001 में इस नगर में साक्षरता प्रतिशत 65.31 थी जो उधमसिंह नगर के अन्य नगरों की तुलना में कम है।²⁰

भौतिक स्वरूप –

रुद्रपुर नगर भू-भौतिकी एवं स्थलाकृति की दृष्टि से तराई क्षेत्र की समस्त विशिष्टताओं से युक्त है, स्थलाकृति में यद्यपि यह नगर मैदानी क्षेत्रों के समरूप है, परन्तु निम्न हिमालय श्रेणियों से उद्गमित ऋतुकालीन नदियों एवं नालों का प्रभाव इसकी स्थलाकृति संरचनाओं में दलदलीय एवं निचली भूमि की विशिष्टताओं के रूप में स्पष्टतः परिलक्षित होती है। कल्याणी और बहुगुल नदियाँ, जो नगर के स्थलाकृति स्वरूप में निर्णायक भूमि का निर्वहन करती रहीं हैं, का जल प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर है। यद्यपि वर्तमान में कल्याणी तथा बहुगुल नदियाँ नगर के पूर्वी अंचल में प्रवाहित हैं परन्तु रुद्रपुर की मुख्य आबादी इन्हीं दोनों नदियों के मध्य में है। वर्ष 1885 में प्रकाशित रुहेलखण्ड की सिंचाई रिपोर्ट में कैप्टेन जोन्स ने बहुगुल नदी को एक तीव्र बेलगाम नदी के रूप में वर्णित किया है तथा इसी नदी रुद्रपुर की समृद्धि कृषि का स्रोत चिन्हित किया है।

जलवायु – मानवीय जीवन को प्रभावित करने एवं अधिवासों की दशा निर्धारित करने में जलवायु अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि जलवायु प्राकृतिक वातावरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु द्वारा न केवल उस स्थान के निवासियों की आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण होता वरन् वहाँ की सांस्कृतिक एवं सामाजिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है।

रुद्रपुर नगर में मासिक तापक्रम (जनवरी–दिसम्बर) वर्ष 2011


सारिणी संख्या 3.8

महीने	तापक्रम (डिग्री से0ग्रे0)		औसत तापमान	औसत वर्षा (मिमी.)
	अधिकतम	न्यूनतम		
जनवरी	18.5	4.1	11.3	65.2
फरवरी	23.0	7.0	15.0	23.6
मार्च	30.0	11.0	20.5	60.5
अप्रैल	35.5	17.5	26.5	93.4
मई	41.1	23.2	32.1	108.5
जून	37.5	24.5	31.0	89.1
जुलाई	33.0	25.0	29.0	318.7
अगस्त	32.0	25.8	28.9	678.5
सितम्बर	33.1	24.1	28.6	335.0
अक्टूबर	32.0	17.0	24.5	38.1
नवम्बर	27.0	12.3	19.6	18.3
दिसम्बर	23.3	6.5	14.9	21.2

Source : Records of weather data of 2011 at G.B.Pant University of Agri. & Technology, Pantnagar.

सारिणी संख्या 3.2 से वर्ष 2011 में रुद्रपुर नगर के मासिक तापक्रम की जानकारी उपलब्ध होती है। नगर का सबसे न्यूनतम औसत तापमान 11.3 डिग्री से0ग्रे0 जनवरी माह में रिकार्ड किया गया है। वर्ष के सबसे अधिक गर्म महीने मई व जून हैं। वर्षा ऋतु के दौरान तापमान में फिर से गिरावट दिखायी देती है। सर्वाधिक वर्षा जुलाई और अगस्त महीनों में होती है। अगस्त महीनों के पश्चात् वर्षा में कमी आने लगती है।

रूद्रपुर नगर में मासिक तापक्रम (वर्ष-2011)
हीदरग्राफ



आरेख संख्या 3.3

नगर निकाय गठन एवं जनसंख्या वृद्धि –

वर्ष 1955–59 में रुद्रपुर नगर को टाउन एरिया घोषित किया गया था। रुद्रपुर नगरपालिका परिषद दिनांक 27–8–1991 से प्रथम श्रेणी की नगरपालिका परिषद है। वर्ष 2011 में रुद्रपुर नगर को नगर निगम घोषित किया गया। रुद्रपुर नगर निगम का क्षेत्रफल 12.43 वर्ग कि०मी० हैं। रुद्रपुर नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या प्राक्कलन के सन्दर्भ में यहाँ उल्लेखनीय है कि वर्ष 2001 से 2011 के दशक में कार्यात्मक विविधता का विकास रहा है। इस अवधि में पहले विद्यालय, केन्द्र तथा राज्य सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय एवं पर्यटन आवागमन में वृद्धि से भी व्यवसायिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुई है।

परन्तु रुद्रपुर में औद्योगिक आस्थान (सिडकुल) व अन्य औद्योगिक आस्थान स्थापित हो जाने के कारण यहाँ के भावी विकास व क्रियाकलापों में तीव्रता आयी है जिसका प्रभाव जनसंख्या वृद्धि तथा अन्य जनांककीय प्रवृत्तियों पर भी निर्विवाद रूप से पड़ेगा, उल्लेखनीय है कि विगत दशकों में रुद्रपुर विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत दूरगामी जनसंख्या वृद्धि दर नगरीय वृद्धि दर की अपेक्षा ग्रामीण से कम रही है फिर भी नगरीय सीमा के सन्निकट ग्रामों में भी नगरीयकरण की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई है। वर्ष 1991 में रुद्रपुर नगर पालिका परिषद की जनसंख्या 61,067 एवं वर्ष 2001 में नगरपालिका परिषद सीमान्तर्गत जनसंख्या 88,815 थी। वर्ष 2011 में रुद्रपुर नगर निगम की जनसंख्या 1,39,074 है, जो वर्ष 2001 की जनसंख्या की तुलना में 56.59 प्रतिशत दशाब्दिक जनसंख्या वृद्धि दर रही।

भूमि उपयोग –

रुद्रपुर नगर के भूमि उपयोग का प्रतिरूप अनेक भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और आर्थिक कारकों से प्रभावित है। नगर के मध्य क्षेत्र में अत्यधिक जनसंख्या तथा आवासों का निर्मित होना ऐतिहासिक हैं, क्योंकि जब नगर का विकास प्रारम्भ होता है तो उसके मध्य में ही व्यापारिक क्षेत्रों का विकास प्रारम्भ होता है।

रुद्रपुर नगरीय क्षेत्र में भूमि का उपयोग (2011)


सारिणी संख्या 3.9

क्रम संख्या	अध्यासित भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	प्रतिशत
1	आवासीय प्रयोजन हेतु	2,78,279.72	3.46
2	व्यवसायिक प्रयोजन हेतु	3,05,379.93	3.79
3	कृषि उपयोग हेतु	40,485.60	0.50
4	बागवानी उपयोग हेतु	1,742.56	0.02
5	झुग्गी-झोपड़ी विनियमतीकरण योजना के अन्तर्गत	1,11,150.00	1.38
6	विभिन्न विभागों द्वारा अध्यासित भूमि	35,77,815.06	44.43
7	सड़के, नाली, नाले एवं नदियों में अध्यासित भूमि	8,12,347.70	10.09
8	सर्वेक्षण के आधार पर निर्विवाद रूप से रिक्त भूमि	18,33,445.42	22.77
9	सर्वेक्षण के उपरान्त अवैध कब्जों में अध्यासित भूमि	1,32,379.82	1.64
		70,93,025.81	88.08
10	सर्वेक्षण के उपरान्त विलुप्त भूमि	9,59,589.81	11.92
		80,52,615.62	100.00

स्रोत – नगर निगम, रुद्रपुर।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि रुद्रपुर नगर के कुल क्षेत्र का 2,78,279.72 वर्ग मीटर (3.46 प्रतिशत) भाग नगरीय जनसंख्या के आवासीय उपयोग में है। वर्तमान भू-उपयोग के अनुसार सर्वेक्षण अवधि में नगर क्षेत्र में 3,05,379.93 वर्ग मीटर (3.79 प्रतिशत) भूमि व्यवसायिक उपयोग के अन्तर्गत आंकलित की गई है। नगर के प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्र गोल मार्केट, काशीपुर मार्ग, रामपुर मार्ग बाजार हैं। सघन क्षेत्रों में व्यवसायिक कार्यकलापों से सम्बन्धित माल उतारने एवं चढ़ाने, पार्किंग एवं विक्रय सामग्री का प्रदर्शन मुख्यतः मार्गों पर ही अनाधिकृत रूप से किए जाने की प्रक्रिया, अतिक्रमण एवं तदजनित यातायात, संयुक्त रूप से आवागमन पद्धति को अवरोध उत्पन्न करते हैं। विभागीय भू-उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा अध्यासित भूमि के उपयोग में कुल 35,77,815.06 वर्ग मीटर (44.43 प्रतिशत) भूमि थीं।

रुद्रपुर नगरीय क्षेत्र में : भूमि का उपयोग (2011)



संकेत

- आवासीय
- व्यवसायिक
- कृषि
- बागवानी
- झुग्गी-झोंपड़ी
- सड़कें, नाली, नाले एवं नदियों में अध्यासित भूमि
- सर्वेक्षण के उपरान्त अवैध कब्जों में अध्यासित भूमि
- सर्वेक्षण के उपरान्त विलुप्त भूमि
- विभिन्न विभागों द्वारा अध्यासित भूमि
- सर्वेक्षण के आधार पर निर्विवाद रूप से रिक्त भूमि

आरेख संख्या 3.4

वर्तमान भू-उपयोग के अनुसार सर्वेक्षण अवधि में नगर क्षेत्र में 42,228.16 वर्ग मीटर (0.52 प्रतिशत) भूमि कृषि एवं बागवानी उपयोग के अन्तर्गत आंकलित की गई है। वर्तमान भू-उपयोग के अनुसार सर्वेक्षण अवधि में नगर क्षेत्र में 1,11,150.00 वर्ग मीटर (1.38 प्रतिशत) क्षेत्र झुग्गी-झोपड़ी के अन्तर्गत आंकलित की गई है। रुद्रपुर नगर क्षेत्र में 8,12,347.70 वर्ग मीटर (10.09 प्रतिशत) भूमि सड़के, नाली, नाले एवं नदियों में अध्यासित भूमि के अन्तर्गत आंकलित की गई है। वर्तमान भू-उपयोग के अनुसार सर्वेक्षण अवधि में नगर क्षेत्र में 18,33,445.42 वर्ग मीटर (22.77 प्रतिशत) क्षेत्र निर्विवाद रूप से रिक्त भूमि के अन्तर्गत आंकलित किया गया है। रुद्रपुर नगर क्षेत्र में 9,59,589.81 वर्ग मीटर (11.92 प्रतिशत) सर्वेक्षण के उपरान्त विलुप्त भूमि के अन्तर्गत आंकलित की गई है।

रुद्रपुर नगर के विकास के लिए उत्तरदायी कारक –

हल्द्वानी-काठगोदाम-रुद्रपुर-रामपुर ब्राड गेज रेलवे लाईन के निर्माण एवं तत्पश्चात नवसृजित जनपद उधम सिंह नगर का मुख्यालय घोषित होने के साथ रुद्रपुर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से प्रत्यक्ष यातायात सम्बद्धता प्राप्त होने के साथ-साथ नगर के आर्थिक व भौतिक विकास में गतिशीलता परिलक्षित हुई है, जिसकी भावी विकास सम्भावनाओं में उल्लेखनीय भूमिका का निर्वहन होना अनुमानित है। भौतिक विकास की प्रवृत्तियों एवं कार्यात्मक संरचना के विकास से स्पष्ट है कि रुद्रपुर नगर कृषि विपणन केन्द्र के साथ ही एक प्रमुख औद्योगिक केन्द्र के रूप में विकसित हुआ है। इसके अतिरिक्त कुमाऊँ मण्डल का तराई क्षेत्र की ग्रामीण आबादियों को विभिन्न उच्च स्तरीय शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से रुद्रपुर नगर शनैः-शनैः महत्व अर्जित कर रहा है।

मलिन बस्तियों की संख्या – वर्ष 1991 में रुद्रपुर नगर पालिका परिषद में 12 मलिन बस्तियाँ थीं। वर्ष 2001 में मलिन बस्तियों में निवास करने वाली जनसंख्या 55,734 थीं, जबकि वर्ष 2011 की जनगणनानुसार रुद्रपुर नगरनिगम मलिन जनसंख्या (63,666) लगभग 14.23 प्रतिशत की दशाब्दिक वृद्धि दर रही।

रुद्रपुर नगर की मलिन बस्तियों का विस्तृत विवरण (2011)

सारिणी संख्या 3.10

क्रम संख्या	वार्ड संख्या एवं वार्ड का नाम	मलिन बस्ती का नाम	वार्ड की कुल जनसंख्या	मलिन जनसंख्या (प्रतिशत)	वार्ड परिवारों की संख्या	स्लम परिवारों की संख्या (प्रतिशत)
1-	1. जगतपुरा	जगतपुरा	12199	3548 (29.08)	2454	701 (28.56)
2-	2. ट्रांजिट कैम्प	ट्रांजिट कैम्प पूर्वी, शिवनगर	24281	4332 (17.84)	4867	814 (16.72)
3-	3. संजय नगर	संजयनगर	6357	6357 (100)	1236	1236 (100)
4-	4. भदईपुरा	भदईपुरा, दूधियानगर	15856	12300 (77.57)	2843	2214 (77.87)
5-	5. खेड़ा	खेड़ा	13254	12814 (96.68)	2173	2102 (96.73)
6-	6. भूतबंगला	भूतबंगला	8102	7149 (88.23)	1442	1257 (87.17)
7-	7. रम्पुरा पूर्वी	रम्पुरा पूर्वी	6362	6362 (100)	1152	1152 (100)
8-	8. रम्पुरा मध्य	रम्पुरा मध्य	5226	5226 (100)	967	967 (100)
9-	9. सीरगोटिया	सीरगोटिया, रम्पुरा पं0	3318	1439 (43.37)	609	319 (52.38)
10-	10. गाँधी कालौनी	गाँधी कालौनी	3337	667 (19.99)	635	124 (19.53)
11-	18. रविन्द्र नगर	रविन्द्रनगर, दरियानगर	5053	3472 (68.71)	1109	759 (68.44)
	कुल योग		1,03,345 (100)	63,666 (61.60)	19,487 (100)	11,645 (59.76)

स्रोत— नगर निगम रुद्रपुर, 2011 । (कोष्ठ) में प्रतिशत अंकित है।

उपरोक्त तालिका से वर्ष 2011 में रुद्रपुर नगर निगम की मलिन बस्तियों में निवास करने वाली जनसंख्या तथा उनके परिवारों की संख्या का पता चलता है। जिसमें संजय नगर वार्ड संख्या 3, रम्पुरा पूर्वी वार्ड संख्या 7 तथा रम्पुरा मध्य वार्ड संख्या 8 के वार्ड के 100 प्रतिशत परिवार स्लम परिवार है। वार्ड संख्या 4, वार्ड संख्या 5 एवं वार्ड संख्या 6 के लगभग 70 से 90 प्रतिशत परिवार स्लम के अन्तर्गत हैं।

3.3 नगरीय विशेषताएँ एवं विशिष्टताएँ –

कुमाऊँ के भाबर एवं तराई क्षेत्र की चयनित दो नगरीय इकाईयों के अतिरिक्त भाबर एवं तराई क्षेत्र की अन्य नगरीय इकाईयाँ जिनमें काशीपुर नगर निगम, बाजपुर, जसपुर, खटीमा, सितारगंज, टनकपुर, किच्छा, रामनगर, गदरपुर नगरपालिकाएँ एवं कालाढूंगी, लालकुंआ, केलाखेड़ा, महुवाडाबरा-हरिपुरा, महुवाखेड़ागंज, शक्तिगढ़, दिनेशपुर, सुल्तानपुर पट्टी नगर पंचायतें तथा नगला, बनबसा, बन्डिया, कचनाल गोसाईं जनगणना कस्बें भी आते हैं। इन सभी नगरीय इकाईयों की भी अपनी विशेषताएँ एवं विशिष्टताएँ हैं जो निम्न प्रकार से है –

1- काशीपुर नगरीय क्षेत्र –

काशीपुर नगर तराई क्षेत्र का प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध कस्बा है। ऐतिहासिक विवरण के अनुसार सन् 1815 में कुमाऊँ पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाने के उपरान्त सन् 1844 तक काशीपुर और जसपुर मुरादाबाद जिले के अन्तर्गत अलग-अलग परगने थे। यह नगर सन् 1891 से वर्ष 1994 तक लगभग एक सौ वर्ष तक नैनीताल जिले के अन्तर्गत रहा। ऊधम सिंह नगर जनपद जिसके अन्तर्गत यह नगर वर्तमान में है, का गठन वर्ष 1994 में हुआ था। काशीपुर नाम इस नगर के संस्थापक काशीनाथ अधिकारी के नाम पर पड़ा जो एक विवरण के अनुसार रुद्रचंद्र का सेवादार था। काशीनाथ ने काशीपुर की स्थापना वर्ष 1639 ईसवी में की। प्राचीनकाल में कोटा के नाम से प्रसिद्ध काशीपुर क्षेत्र नगर स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त भी महत्वपूर्ण और चर्चित रहा। स्वतंत्रता के लगभग दो दशकों तक काशीपुर सहित सम्पूर्ण तराई क्षेत्र में पंजाब से आए हुए विस्थापितों को बसाकर तराई क्षेत्र को अनाज का भण्डार बनाये जाने के प्रयास किए गये। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप तराई क्षेत्र अनाज के भण्डार के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र चावल उत्पादन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने प्रयास भी शुरू हुए। सन् 1975-76 में काशीपुर में 20-0 एकड़ क्षेत्रफल में पहला औद्योगिक आस्थान स्थापित किया गया। 6 जनवरी 1977 से नगरपालिका काशीपुर को प्रथम श्रेणी की नगर पालिका का स्तर प्रदान किया गया। वर्ष 1872 ने गठित म्यूनिसिपैलिटी का क्षेत्रफल 1.50 वर्ग कि०मी० था। वर्ष 1966 में नगरपालिका की सीमा

में विस्तार होने के उपरान्त क्षेत्रफल 2.25 वर्ग कि०मी० हो गया था। दिनांक 13 मार्च 1976 द्वारा नगरपालिका काशीपुर सीमा का विस्तार कर क्षेत्रफल 5.456 निर्धारित किया गया।

काशीपुर नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि— वर्ष 2011 में काशीपुर नगर निगम की जनसंख्या 1,21,610 हो गयी, जो वर्ष 2001 की जनसंख्या की तुलना में 30.79 प्रतिशत दशाब्दिक जनसंख्या वृद्धि दर रही।

काशीपुर नगरीय क्षेत्र की मलिन बस्तियाँ— काशीपुर नगरीय क्षेत्र में कुल 13 मलिन बस्तियाँ हैं। वर्ष 2001 काशीपुर नगर की कुल मलिन जनसंख्या 34,592 थीं, जो वर्ष 2011 में 41,019 हो गयी।

2— जसपुर नगरीय क्षेत्र —

जसपुर से काशीपुर की दूरी 18 कि०मी० है। मैदानी क्षेत्र में होने के बावजूद यह कस्बा रेल लाइन से नहीं जुड़ा है। पं० बद्रीदत्त पाण्डे के अनुसार 'जसपुर को, कहते हैं कि कुमाऊँ के राज्य मंत्री यशोधर जोशी जी ने बसाया था। यह एक छोटा—सा नगर है। काशीपुर से साढ़े आठ मील दूर है। सन् 1856 में यहां पर टाउन एक्ट लगाया गया था। यहां कपड़ा बनता है। छपाई का काम भी अच्छा होता है। अकबर के जमाने में इसका नाम शहजगीर था।' नगरनिकाय परिषद जसपुर के अनुसार 18 नवम्बर 1859 को टाउन एरिया कमेटी जसपुर का गठन किया गया था जबकि पं० बद्रीदत्त पाण्डे के अनुसार यहां सन् 1856 में टाउन एक्ट लागू हुआ। 21 सितम्बर 1962 को इस नगर निकाय को नोटीफाइड एरिया कमेटी में परिवर्तित कर दिनांक 3 अक्टूबर 1968 से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका का स्तर प्रदान किया गया। नगरपालिका परिषद जसपुर का क्षेत्रफल 4—00 वर्ग कि०मी० है।

जसपुर नगरीय क्षेत्र की : दशकीय जनसंख्या वृद्धि — वर्ष 2001 में नगरपालिका परिषद सीमान्तर्गत जनसंख्या 39,048 थी। वर्ष 2011 में जसपुर नगर की जनसंख्या 50,523 हो गयी, जो वर्ष 2001 की जनसंख्या की तुलना में लगभग 29 प्रतिशत दशाब्दिक जनसंख्या वृद्धि दर रही।

जसपुर नगरीय क्षेत्र की मलिन बस्तियाँ – जसपुर नगरीय क्षेत्र में कुल 9 मलिन बस्तियाँ हैं। वर्ष 2001 जसपुर नगर की कुल मलिन जनसंख्या 5,705 थी, जो वर्ष 2011 में 8,098 हो गयी।

3- किच्छा नगरीय क्षेत्र –

उन्नीसवीं सदी के अन्त तक किच्छा से लेकर बनबसा तक थारुओं की बस्ती थीं और इस क्षेत्र को बिलारी कहा जाता था। अंग्रेजों के आगमन के उपरान्त बरेली-काठगोदाम रेल-लाइन और बरेली-नैनीताल सड़क मार्ग के निर्माण के कारण किच्छा एक प्रमुख व्यापारिक स्थान के रूप में उभरने लगा। चीनी मिल व धान मिलें भी इस कस्बे के आस-पास स्थापित हुईं। किच्छा से चारों दिशाओं की ओर राजमार्गों का जाल बिछा है। बरेली-हल्द्वानी रेलमार्ग पर किच्छा महत्वपूर्ण रेल स्टेशन है। दिनांक 14 अक्टूबर 1971 के द्वारा किच्छा को टाउन एरिया घोषित किया था। 8 अक्टूबर 1985 के द्वारा टाउन एरिया कमेटी किच्छा का चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका का स्तर प्रदान किया गया। नगरपालिका परिषद किच्छा का क्षेत्रफल 4.02 वर्ग कि०मी० है। वर्ष 1991 में इस नगर निकाय की जनसंख्या 21131 एवं वर्ष 2001 में 30517 थी। वर्ष 2001 में नगरपालिका परिषद सीमान्तर्गत जनसंख्या 30,517 थी। वर्ष 2011 में किच्छा नगर की जनसंख्या 41,966 हो गयी।

किच्छा नगरीय क्षेत्र की मलिन बस्तियाँ – किच्छा नगरीय क्षेत्र में कुल 6 मलिन बस्तियाँ हैं। वर्ष 2001 किच्छा नगर की कुल मलिन जनसंख्या 6,640 थी, जो वर्ष 2011 में 8,040 हो गयी।

4- सितारगंज नगरीय क्षेत्र –

सितारगंज से खटीमा की आरे मोटर मार्ग पर नानकमत्ता में सिक्खों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा नानकमत्ता है और कहा जाता है कि गुरुनानक यहां आये थे। साथ ही नानकसागर है, जिससे इस विकासखण्ड की सिंचाई होती है। सितारगंज कस्बा उधमसिंह नगर जिले के बिलारी क्षेत्र का महत्वपूर्ण कस्बा है। यह कस्बा पूरब में खटीमा पश्चिम में किच्छा व हल्द्वानी और दक्षिण की ओर पीलीभीत से सड़क मार्ग से जुड़ा है। सितारगंज से चोरगलिया होकर काठगोदाम के लिए भी मोटर मार्ग है।

सितारगंज मुख्यतः कृषि क्षेत्र में स्थित होने के कारण कृषि मण्डी व कृषि व्यापार और परिवहन का प्रमुख केन्द्र है। यहां की उल्लेखनीय औद्योगिक इकाई सहकारी चीनी मिल है। यह क्षेत्र प्राचीनकाल में थारुओं की बस्ती थी किन्तु सन् उन्नीस सौ साठ के दशक में पंजाब से आए हुए विस्थापितों को इस क्षेत्र में बसाए जाने के उपरान्त इस क्षेत्र में पंजाब से आए हुए विस्थापितों की पर्याप्त संख्या है। वर्ष 1991 की जनगणना अनुसार सितारगंज विकास खण्ड में जनजाति के सदस्यों की संख्या कुल जनसंख्या का 23 प्रतिशत थी। सितारगंज के समीप ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्पूर्णनन्द मुक्त कारागार की स्थापना की गई थी जो कैदियों को सुधारने का अभिनव व सार्थक प्रयोग व पहल थी।

दिनांक 6 अगस्त 1986 से टाउन एरिया कमेटी सितारगंज को चतुर्थ श्रेणी नगरपालिका का स्तर प्रदान किया गया। नगरपालिका परिषद सितारगंज का क्षेत्रफल 2-00 वर्ग कि०मी० है।²¹ वर्ष 2001 में नगरपालिका परिषद सीमान्तर्गत जनसंख्या 21,943 थी। वर्ष 2011 में सितारगंज नगर की जनसंख्या 29,965 है।

सितारगंज नगरीय क्षेत्र की मलिन बस्तियाँ – सितारगंज नगरीय क्षेत्र में कुल 16 मलिन बस्तियाँ हैं। वर्ष 2001 सितारगंज नगर की कुल मलिन जनसंख्या 10,500 थीं। वर्ष 2011 में यहाँ 11 वार्डों में 16 मान्यता प्राप्त मलिन बस्तियाँ पायी गयी। वर्ष 2011 में सितारगंज नगर की कुल मलिन जनसंख्या 15,014 है।

5- बाजपुर नगरीय क्षेत्र –

इतिहासकारों के अनुसार सोलहवीं सदी तक बाजपुर चौरासी माल का एक परगना था। बाजपुर का पुराना नाम मुन्डिया था। राजा रुद्रचन्द्र ने मुगल बादशाह अकबर से चौरासी माल का पूर्ण अधिकार प्राप्त कर तराई के प्रबन्ध पर पर्याप्त ध्यान दिया। किन्तु राजा रुद्रचन्द्र के उत्तराधिकारियों ने, चंद खानदान के आपसी झगड़ों के कारण तराई की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप कठेर के हिन्दू सरदारों ने तराई के बड़े भू-भाग पर अधिकार कर दिया। किन्तु राजा बाजबहादुर चन्द 1638-1678 ईसवी के शासन काल में बादशाह शाहजहां ने कुमाऊँ के राजा को तराई की जागीरदारी पुनः प्रदान की। राजा बाजबहादुर चन्द ने तराई के प्रबन्ध पर विशेष ध्यान दिया और अपने नाम से बाजपुर नगर बसाया।

यातायात की दृष्टि से यहां रेल सेवा सन् 1905-06 में प्रारम्भ होने के उपरान्त बाजपुर कस्बे की जनता को रेल सुविधा प्राप्त हुई। सड़क मार्ग से बाजपुर कस्बे की जिला मुख्यालय रुद्रपुर से दूरी 35 कि०मी० है। सन् उन्नीसौ अस्सी के दशक से बाजपुर क्षेत्र में औद्योगीकरण के प्रयास प्रारम्भ हुए और बाजपुर में 33-97 एकड़ और 43-19 एकड़ भूमि पर दो बड़े औद्योगिक आस्थान स्थापित किये गये। कालान्तर में चीनी मिल और कृषि आधारित औद्योगिक ईकाईयां भी बाजपुर कस्बे के आसपास स्थापित होने से वर्तमान में बाजपुर को औद्योगिक रूप से विकसित और समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। वर्ष 1986 से बाजपुर चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका परिषद है। नगरपालिका परिषद बाजपुर का क्षेत्रफल वर्ष 1971 से ही 2.4 वर्ग कि०मी० है। वर्ष 2001 में नगरपालिका परिषद सीमान्तर्गत जनसंख्या 21,782 थी। वर्ष 2011 में सितारगंज नगर की जनसंख्या 25,524 हो गयी, जो वर्ष 2001 की जनसंख्या की तुलना में लगभग 17 प्रतिशत दशाब्दिक जनसंख्या वृद्धि दर रही।

बाजपुर नगरीय क्षेत्र की मलिन बस्तियाँ – बाजपुर नगरीय क्षेत्र में कुल 1 मलिन बस्ती है। वर्ष 2001 बाजपुर नगर की कुल मलिन जनसंख्या 1,690 थी, जो वर्ष 2011 में 2,016 हो गयी।

6- खटीमा नगरीय क्षेत्र –

तराई के बिलारी क्षेत्र में स्थित खटीमा नगर अंग्रेजों के शासनकाल में भी परगना मुख्यालय था। उत्तराखण्ड की पुरानी तहसीलों में खटीमा की गिनती है। उन्नीसवीं सदी तक किच्छा से खटीमा तक के इलाके में थारुओं की बस्तियां थीं। बीसवीं सदी में बाहर से आकर भी लोग इस क्षेत्र में बसने लगे थे किन्तु पंजाब से आए विस्थापियों के कारण इस क्षेत्र की जनसंख्या के जातीय आकार-प्रकार में भारी अन्तर आ गया है। खटीमा तराई के पूर्वी भाग का अन्तिम नगर है। खटीमा तहसील के पूर्व में नेपाल की सीमा और दक्षिण में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की सीमा है। पीलीभीत से खटीमा होकर ही टनकपुर के लिए रेल जाती है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त पंजाब से आए विस्थापितों के कई परिवार इस क्षेत्र में बस गये। फलस्वरूप जनसंख्या के जातीय आकार-प्रकार में परिवर्तन हो गया। फिर भी खटीमा तहसील में वर्ष 1991 की जनगणना अनुसार जनजाति के सदस्यों की

संख्या कुल जनसंख्या का तीस प्रतिशत थी। क्योंकि यह काली कुमाऊँ और पिथौरागढ़ की प्राचीनकाल से ही व्यापारिक मण्डी है एवं यह पहचान अभी तक कायम है। वर्ष 1984 से नगरपालिका खटीमा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका परिषद है। नगरपालिका परिषद खटीमा का क्षेत्रफल 3.2 वर्ग कि०मी० है। वर्ष 2001 में खटीमा नगरपालिका परिषद सीमान्तर्गत जनसंख्या 14,378 थी। वर्ष 2011 में खटीमा नगर की जनसंख्या 15,093 हो गयी, जो वर्ष 2001 की जनसंख्या की तुलना में 4.95 प्रतिशत दशाब्दिक जनसंख्या वृद्धि दर रही।

खटीमा नगरीय क्षेत्र की मलिन बस्तियाँ – खटीमा नगरीय क्षेत्र में कुल 14 मलिन बस्तियाँ हैं। वर्ष 2001 खटीमा नगर की कुल मलिन जनसंख्या 4,465 थीं, जो वर्ष 2011 में 6,717 हो गयी।

7- गदरपुर नगरीय क्षेत्र –

ऊधमसिंह नगर जनपद के जिला मुख्यालय रुद्रपुर से गदरपुर की दूरी 8 कि०मी० है और इस कस्बे का निकटस्थ रेलवे स्टेशन भी रुद्रपुर है। गदरपुर मुख्यतः उपजाऊ कृषि क्षेत्र के मध्य स्थित है। गदरपुर के पश्चिम की ओर 50 कि०मी० और 27 कि०मी० की दूरी पर काशीपुर और बाजपुर कस्बे स्थित हैं जो औद्योगिक रूप से विकसित हैं। गदरपुर में किसान सहकारी चीनी मिल ही उल्लेखनीय औद्योगिक इकाई है। गदरपुर विकासखण्ड की कुल जनसंख्या में लगभग 12 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की है। यह उल्लेखनीय है कि थारु और बोक्सा अनुसूचित जनजातियां ही क्षेत्र के मूल निवासी माने जाते हैं। वर्ष 1985 से नगरपालिका परिषद गदरपुर चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका है। यह नगरपालिका परिषद उधमसिंह नगर जनपद की सबसे कम जनसंख्या की नगरपालिका परिषद है। नगरपालिका परिषद गदरपुर का क्षेत्रफल 3.40 वर्ग कि०मी० हैं। वर्ष 2001 में गदरपुर नगरपालिका परिषद सीमान्तर्गत जनसंख्या 13,638 थी। वर्ष 2011 में गदरपुर नगर की जनसंख्या 19,301 है।

गदरपुर नगरीय क्षेत्र की मलिन बस्तियाँ – गदरपुर नगरीय क्षेत्र में कुल 8 मलिन बस्तियाँ हैं। वर्ष 2001 गदरपुर नगर की कुल मलिन जनसंख्या 12,036 थीं, जो वर्ष 2011 में 16,075 हो गयी।

8— टनकपुर नगरीय क्षेत्र—

कुमाऊँ के तराई—भाबर में स्थित टनकपुर प्राचीन कस्बा है। पं० बद्रीदत्त पाण्डे ने इस कस्बे का वर्णन इस प्रकार किया है— 'टनकपुर —शारदा के किनारे की मण्डी है। जाड़ों में अच्छी बस्ती रहती है। इसके पार नेपाल की ब्रह्मदेव मण्डी है। जो राजा ब्रह्मदेव कत्यूरी ने बसाई थी। पहले टनकपुर से 3 मील ऊपर भी ब्रह्मदेव मण्डी थी, जहां पहाड़ टूटने से 1880 में टनकपुर बसाया गया। इसका नाम ग्रास्टीनगंज पहले रखा था, पर चला नहीं। यह काली कुमाऊँ, पिथौरागढ़, तथा कैलाश जाने का मार्ग है। यहां से थोड़ी दूरी में पूर्णागिरी देवी का मंदिर है। यहाँ रेल भी है। भोटियों के ऊन बेचने की मण्डी भी है।'²²

टनकपुर तराई के पूर्वी छोर पर नेपाल सीमा के निकट स्थित है। टनकपुर समतल भू-भाग में स्थित है एवं यहां से काली—कुमाऊँ और पिथौरागढ़ के लिए पर्वतीय मार्ग प्रारम्भ होता है। टनकपुर से चम्पावत की दूरी 75 कि०मी० है जबकि टनकपुर से पिथौरागढ़ की दूरी 175 कि०मी० है। पिथौरागढ़ और चम्पावत जिलों के निवासियों के लिए निकटस्थ रेलवे स्टेशन टनकपुर ही है। वर्ष 1971 से यह नगर निकाय चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका परिषद हैं। नगरपालिका परिषद टनकपुर का क्षेत्रफल प्रारम्भ से ही 1—00 वर्ग कि०मी० है। वर्ष 2001 में टनकपुर नगरपालिका परिषद सीमान्तर्गत जनसंख्या 15,810 थी। वर्ष 2011 में टनकपुर नगर की जनसंख्या 17,626 हो गयी, जो वर्ष 2001 की जनसंख्या की तुलना में 16 प्रतिशत दशाब्दिक जनसंख्या वृद्धि दर रही।

टनकपुर नगरीय क्षेत्र की मलिन बस्तियाँ — टनकपुर नगरीय क्षेत्र में कुल 5 मलिन बस्तियाँ हैं। वर्ष 2001 टनकपुर नगर की कुल मलिन जनसंख्या 2,165 थीं, जो वर्ष 2011 में 4,060 हो गयी।

9— रामनगर नगरीय क्षेत्र—

कुमाऊँ के भाबर में स्थित रामनगर जो कुमाऊँ के तत्कालीन कमिश्नर राम्जे द्वारा बसाया गया था, अब न केवल कुमाऊँ क्षेत्र बल्कि गढ़वाल के नैनीडाण्डा क्षेत्र के निवासियों के लिए एक व्यस्त व महत्वपूर्ण मण्डी है। पं० बद्रीदत्त पाण्डे के अनुसार 'रामनगर—पहले बस्ती चिलकिया में थी। बाद में कोसी के किनारे रामजी साहब के नाम से 1850 में रामनगर बसाया गया।' एटकिंसन ने रामनगर का उल्लेख इस प्रकार

किया है— रामनगर, कुमाऊँ में कोटा-भाबर का प्रमुख बाजार। यह 29° 23' आक्षांश उत्तर और 79° 10' देशान्तर पूर्व में समुद्र-सतह से 1204 फीट की ऊँचाई पर कोसीनदी के तट पर है। यह कोटा से 12 मील, ढिकुली से 6 मील, मोहान से 12 मील, खैरना से 36 मील और अल्मोड़ा से 56 मील की दूरी पर है। यह पश्चिमी कुमाऊँ की वैसी ही बड़ी मण्डी है जैसी मध्यवर्ती कुमाऊँ की हल्द्वानी और पूर्वी कुमाऊँ की बरमदेव हैं। वर्ष 1881 में यहाँ की आबादी 3096 थी जिसमें मुख्यतः बनिया लोग थे।

सड़क मार्ग से रामनगर पौड़ी से जुड़ा होने के कारण गढ़वाल के नैनीडाण्डा क्षेत्र का मुख्य व्यापारिक केन्द्र है। जिम कार्बेट पार्क के कारण रामनगर में पर्यटकों की चहल-पहल भी रहने लगी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1984-85 में रामनगर के कानिया क्षेत्र में 10 एकड़ भूमि पर औद्योगिक आस्थान उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से विकसित कराकर इस कस्बे को औद्योगिक कस्बे का स्वरूप देने का प्रयास किया गया था किन्तु केवल कुछ ही छोटे स्तर की औद्योगिक इकाईयां यहां स्थापित हुईं और रामनगर कस्बा समीप के काशीपुर, बाजपुर अथवा रुद्रपुर कस्बों की भांति औद्योगिक नगरी नहीं बन पाया। सन् 1966 से नगरपालिका रामनगर द्वितीय श्रेणी की नगर पालिका परिषद है। नगरपालिका परिषद रामनगर का क्षेत्रफल 2.423 वर्ग कि०मी० है।

वर्ष 2001 में रामनगर नगरपालिका परिषद सीमान्तर्गत जनसंख्या 47,099 थी। वर्ष 2011 में रामनगर नगर की जनसंख्या 54,787 है, जो वर्ष 2001 की जनसंख्या की तुलना में 16.38 प्रतिशत दशाब्दिक जनसंख्या वृद्धि दर रही।

रामनगर नगरीय क्षेत्र की मलिन बस्तियाँ — रामनगर नगरीय क्षेत्र में कुल 8 मलिन बस्तियाँ हैं। वर्ष 2001 रामनगर नगर की कुल मलिन जनसंख्या 18,120 थीं, जो वर्ष 2011 में 20,043 हो गयी।

कुमाऊँ के भाबर नगरीय क्षेत्र की नगर पंचायतें—

1— कालाढुंगी क्षेत्र —

नैनीताल जिले की हल्द्वानी तहसील और कोटाबाग विकासखण्ड के अन्तर्गत कालाढुंगी कस्बा उन्नीसवीं सदी के अन्त तक मुरादाबाद-नैनीताल जाने वाले यात्रियों

के लिए सुविधाजनक पड़ाव था। अभी भी सूखा ताल की ओर से नैनीताल शहर में प्रवेश का मोटर मार्ग कालाढुंगी से शुरू होता है, और कुछ यात्री इस मार्ग से भी आते-जाते हैं। 'हिमालयन गजेटियर' में एटकिंसन ने कालाढुंगी का अपेक्षाकृत विस्तृत उल्लेख किया जा रहा है— कालाढुंगी यह कुमाऊँ जिले के छखाता-भाबर में पहाड़ियों की तलहटी पर बसा एक गाँव है जो मुरादाबाद-नैनीताल मुख्य सड़क पर पड़ता है। यह मुरादाबाद से 47 मील और नैनीताल से 16 मील दूरी पर है। यह 29°17' अक्षांश उत्तर और 79°23' देशान्तर पूर्व में समुद्र-सतह से 1,300 फीट की ऊँचाई पर है। आगे पूर्व में एक और नदी निकलती है जिसके बाएं तट पर फतेहपुर हैं। इसके बाद हरिपुर, मंदापुर और लुड़ियाताल हैं जिसके पड़ोस में ही और हल्द्वानी से करीब तीन मील दूर बड़े से खेत हैं जिनकी सिंचाई के लिए गौला से गूल आती है"। सन् 1994 से नगर पंचायत में परिवर्तित किया गया। नगर पंचायत कालाढुंगी का क्षेत्रफल 4-00 वर्ग कि०मी० है। वर्ष 2001 में कालाढुंगी नगरपंचायत की जनसंख्या 6,126 थी। वर्ष 2011 में कालाढुंगी नगरपंचायत की जनसंख्या 7,611 हो गयी, जो वर्ष 2001 की जनसंख्या की तुलना में 25.79 प्रतिशत दशाब्दिक जनसंख्या वृद्धि दर रही।

कालाढुंगी क्षेत्र की मलिन बस्तियाँ — कालाढुंगी क्षेत्र में कुल 7 मलिन बस्तियाँ हैं। वर्ष 2001 कालाढुंगी नगरपंचायत की कुल मलिन जनसंख्या 1,315 थीं, जो वर्ष 2011 में 3,100 हो गयी।

2- लालकुआं क्षेत्र —

लालकुआं, हल्द्वानी-बरेली राजमार्ग पर, मैदानी भू-भाग में हल्द्वानी तहसील और हल्द्वानी विकासखण्ड के अन्तर्गत नैनीताल जनपद का महत्वपूर्ण औद्योगिक कस्बा है। लालकुआं विगत पांच वर्षों से हल्द्वानी की ओर आने वाली छोटी लाइन की रेलगाड़िया का अन्तिम रेल स्टेशन है क्योंकि लालकुआं से काठगोदाम के बीच छोटी रेल लाइन, बड़ी रेल लाइन में बदल दी गई है। "सेन्चुरी पेपर एण्ड पल्प मिल" जो उत्तरी भारत की प्रिन्टिंग व रेयन पेपर बनाने वाली सबसे बड़ी मिल है, लालकुआं में स्थापित है। वर्ष 1994 में नोटिफाइड एरिया कमेटी को नगर पंचायत में परिवर्तित किया गया। नगर पंचायत लालकुआं का क्षेत्रफल 4.25 वर्ग कि०मी० है। वर्ष 2001 में लालकुआं नगरपंचायत की जनसंख्या 6,524 थी। वर्ष 2011 में लालकुआं नगरपंचायत

की जनसंख्या 7,644 है, जो वर्ष 2001 की जनसंख्या की तुलना में 17.17 प्रतिशत दशाब्दिक जनसंख्या वृद्धि दर रही।

लालकुँआ क्षेत्र की मलिन बस्तियाँ – लालकुँआ क्षेत्र में कुल 3 मलिन बस्तियाँ हैं। वर्ष 2001 लालकुँआ नगरपंचायत की कुल मलिन जनसंख्या 1,166 थीं, जो वर्ष 2011 में 3,010 हो गयी।

कुमाऊँ के तराई नगरीय क्षेत्र की नगर पंचायतें—

1— महुवाखेड़ा गंज —

ऊधमसिंहनगर जनपद की काशीपुर तहसील में और काशीपुर से 8 कि०मी० दूरी पर स्थित महुवाखेड़ागंज कस्बा उ०प्र० की सीमा से लगा हुआ है। इस नगरीय क्षेत्र की पांच प्रतिशत भू-भाग पर आबादी और शेष भू-भाग कृषि आधीन है। दिनांक 30 मई 1994 से उ०प्र० नगर स्वायत्त शासन विधि अधिनियम 1994 लागू होने के उपरान्त टाउन एरिया कमेटी, महुवाखेड़ागंज का नाम नगरपंचायत महुवाखेड़ा गंज में परिवर्तित हो गया। नगरपंचायत महुवाखेड़ागंज का क्षेत्रफल 5.00 वर्ग कि०मी० है। वर्ष 2001 में महुवाखेड़ागंज नगरपंचायत की जनसंख्या 8,859 थी। वर्ष 2011 में महुवाखेड़ागंज नगरपंचायत की जनसंख्या 12,584 है, जो वर्ष 2001 की जनसंख्या की तुलना में 42.05 प्रतिशत दशाब्दिक जनसंख्या वृद्धि दर रही।

महुवाखेड़ा गंज क्षेत्र की मलिन बस्तियाँ – महुवाखेड़ागंज क्षेत्र में कुल 7 मलिन बस्तियाँ हैं। वर्ष 2001 में महुवाखेड़ागंज नगरपंचायत की कुल मलिन जनसंख्या 7,650 थीं, जो वर्ष 2011 में 10,210 हो गयी।

2— दिनेशपुर क्षेत्र —

ऊधमसिंहनगर जिले की किच्छा तहसील में गूलरभोज रेलवे स्टेशन से दस कि०मी० की दूरी पर स्थित दिनेशपुर को उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या-5181 टी/9-1-83-26 टी/79 लखनऊ दिनांक 10 सितम्बर 1984 के द्वारा नगरीय क्षेत्र घोषित कर टाउन एरिया कमेटी दिनेशपुर का गठन किया गया था। वर्ष 1994 से इस नगर निकाय का नाम परिवर्तित होकर नगर पंचायत हो गया है। नगर पंचायत दिनेशपुर का क्षेत्रफल 4.50 वर्ग कि०मी० है। वर्ष 2001 में

दिनेशपुर नगरपंचायत की जनसंख्या 8,856 थी। वर्ष 2011 में दिनेशपुर नगरपंचायत की जनसंख्या 11,343 हो गयी, जो वर्ष 2001 की जनसंख्या की तुलना में 28.07 प्रतिशत दशाब्दिक जनसंख्या वृद्धि दर रही।

दिनेशपुर क्षेत्र की मलिन बस्तियाँ – दिनेशपुर क्षेत्र में कुल 7 मलिन बस्तियाँ हैं। वर्ष 2001 में दिनेशपुर नगरपंचायत की कुल मलिन जनसंख्या 6,639 थी, जो वर्ष 2011 में 11,342 हो गयी।

3- केलाखेड़ा क्षेत्र –

उधमसिंह नगर की काशीपुर तहसील में स्थित केलाखेड़ा गांव को उत्तरप्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-1 की ओर से जारी अधिसूचना संख्या-84919-1-8-526 टी/ 81 लखनऊ दिनांक 26 जनवरी 1985 के द्वारा संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया कमेटी अधिनियम 1914 के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र घोषित करते हुए टाउन एरिया कमेटी केलाखेड़ा का गठन किया गया था। उ0प्र0 नगर स्वायत शासन विधि अधिनियम 1994 लागू होने के उपरान्त 30 मई 1994 से टाउन एरिया कमेटी का नाम परिवर्तित होकर पंचायत हो गया है। नगर पंचायत केलाखेड़ा का क्षेत्रफल 4-00 वर्ग कि0मी0 है। वर्ष 2001 में जनसंख्या में वर्ष 1991 की तुलना में 54.89 प्रतिशत वृद्धि हुई। वर्ष 2001 में जनसंख्या 7783 थी। वर्ष 1991 में साक्षरता प्रतिशत 29.32 एवं वर्ष 2001 में 44.39 था जो उत्तराखण्ड के नगरीय क्षेत्रों में सबसे कम हैं। वर्ष 2001 में केलाखेड़ा नगरपंचायत की जनसंख्या 7,783 थी। वर्ष 2011 में केलाखेड़ा नगरपंचायत की जनसंख्या 10,929 हो गयी, जो वर्ष 2001 की जनसंख्या की तुलना में 40.34 प्रतिशत दशाब्दिक जनसंख्या वृद्धि दर रही।

केलाखेड़ा क्षेत्र की मलिन बस्तियाँ – क्षेत्र में कुल 7 मलिन बस्तियाँ हैं। वर्ष 2001 में केलाखेड़ा नगरपंचायत की कुल मलिन जनसंख्या 884 थी, जो वर्ष 2011 में 2,009 हो गयी।

4- सुल्तानपुर क्षेत्र –

उधमसिंह नगर की काशीपुर तहसील में स्थित सुल्तानपुर कस्बे को सुल्तानपुर पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। उ0प्र0 सरकार द्वारा वर्ष 1975 में संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया कमेटी एक्ट 1914 के अन्तर्गत प्रदान कर टाउन एरिया कमेटी

सुल्तानपुरपट्टी का गठन किया। वर्ष 1994 से इस निकाय को नगरपंचायत में परिवर्तित किया गया है। सुल्तानपुर पट्टी काशीपुर-रुद्रपुर मुख्य मार्ग पर स्थित कृषि भूमि से घिरा हुआ कस्बा है। नगर पंचायत सुल्तानपुरपट्टी का क्षेत्रफल 4.4 वर्ग कि०मी० है। वर्ष 1991 में इस नगर निकाय की जनसंख्या 5,866 और वर्ष 2001 में 7,713 थी। वर्ष 2001 में सुल्तानपुरपट्टी नगरपंचायत की जनसंख्या 7,713 थी। वर्ष 2011 में सुल्तानपुरपट्टी नगरपंचायत की जनसंख्या 9,881 है।

सुल्तानपुरपट्टी क्षेत्र की मलिन बस्तियाँ – सुल्तानपुरपट्टी क्षेत्र में कुल 4 मलिन बस्तियाँ हैं। वर्ष 2001 में सुल्तानपुरपट्टी नगरपंचायत की कुल मलिन जनसंख्या 4,845 थीं, जो वर्ष 2011 में 5,982 हो गयी।

5- महुवाडाबराहरिपुरा क्षेत्र –

ऊधमसिंह नगर की काशीपुर तहसील अन्तर्गत जसपुर के दक्षिण-पश्चिम में लगभग दस कि०मी० की दूरी पर उत्तर प्रदेश की सीमा के समीप स्थित महुवाडाबरा हरिपुरा को संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र घोषित करते हुए उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-850/9-1-85-26 टी 1/84 लखनऊ दिनांक 28 फरवरी 1985 के द्वारा टाउन एरिया कमेटी महुवाडाबरा हरिपुरा का गठन किया गया था। वर्ष 1994 से टाउन एरिया कमेटी को नगरपंचायत में परिवर्तित किया गया है। नगरपंचायत महुवाडाबरा हरिपुरा का क्षेत्रफल 2.00 वर्ग कि०मी० है। वर्ष 2001 में महुवाडाबरा हरिपुरा नगरपंचायत की जनसंख्या 6,110 थी। वर्ष 2011 में महुवाडाबरा हरिपुरा नगरपंचायत की जनसंख्या 7,326 है।

महुवाडाबरा हरिपुरा क्षेत्र की मलिन बस्तियाँ – महुवाडाबरा हरिपुरा क्षेत्र में कुल 5 मलिन बस्तियाँ हैं। वर्ष 2001 में महुवाडाबरा हरिपुरा नगरपंचायत की कुल मलिन जनसंख्या 3,341 थीं, जो वर्ष 2011 में 5,670 हो गयी।

6- शक्तिगढ़ नगर पंचायत –

ऊधमसिंह नगर जिले की सितारगंज तहसील में स्थित शक्ति फार्म ग्रामीण क्षेत्र को संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र घोषित कर उ०प्र० शासन नगर विकास अनुभाग-1 अधिसूचना संख्या -17775/9-1-85-26

टी/147 लखनऊ दिनांक 27 अप्रैल 1985 के द्वारा टाउन एरिया कमेटी शक्तिफार्म बाजार का गठन किया गया। तीन ग्राम सभा— टैगोरनगर, सुरेन्द्र नगर एवं कुममौड़ भी नगर निकाय की सीमा में सम्मिलित किये गये। एक वर्ष उपरान्त टाउन एरिया कमेटी को भंग कर दिया गया था किन्तु जनता की मांग पर पुनः उ०प्र० शासन नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या 2092/ 9-1-87-26 टी/145/85 लखनऊ दिनांक 1 जुलाई 1989 के द्वारा शक्ति फार्म के नाम से टाउन एरिया कमेटी का गठन किया गया। उ०प्र० शासन नगर विकास विभाग की शुद्धि पत्र अधिसूचना संख्या-315 सी० एम०/9-1-89-26 टी (145)/85 लखनऊ दिनांक 9 अगस्त 1989 के द्वारा शक्ति फार्म के स्थान पर नगर-निकाय का शक्तिगढ़ नामकरण किया गया। नगर पंचायत शक्तिगढ़ का क्षेत्रफल 1.79 वर्ग कि०मी० है। वर्ष 1991 में इस निकाय क्षेत्र की जनसंख्या 3845 (पुरुष 2068, महिलाएं 1,777) एवं वर्ष 2001 में 4776 (पुरुष 2,489, महिलाएं 2,287) थीं। वर्ष 2011 में कुल जनसंख्या 6314 (पुरुष 3270, महिलाएं 3044) हैं। वर्ष 2001 में शक्तिगढ़ नगरपंचायत की जनसंख्या 4,776 थी। वर्ष 2011 में शक्तिगढ़ नगरपंचायत की जनसंख्या 6,314 हो गयी, जो वर्ष 2001 की जनसंख्या की तुलना में 32.20 प्रतिशत दशाब्दिक जनसंख्या वृद्धि दर रही।

शक्तिगढ़ नगरीय क्षेत्र की मलिन बस्तियाँ — शक्तिगढ़ क्षेत्र में कुल 5 मलिन बस्तियाँ हैं। वर्ष 2001 में शक्तिगढ़ नगरपंचायत की कुल मलिन जनसंख्या 3,005 थीं, जो वर्ष 2011 में 6,314 है।

7— बनबसा जनगणना नगर —

वर्ष 1991 की जनगणनानुसार बनबसा को जनगणना नगर का दर्जा प्रदान किया गया था। वर्ष 1991 में इस कस्बे की जनसंख्या 6,572 थी। इस कस्बे का क्षेत्रफल 0.75 वर्ग कि०मी० है। वर्ष 1991 में इस कस्बे में साक्षरता का प्रतिशत 72.07 था। वर्ष 2001 में इस कस्बे की जनसंख्या में 8.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1991 में यह कस्बा नैनीताल जिले की खटीमा तहसील के अन्तर्गत था और नवम्बर 1997 में चम्पावत जनपद का गठन होने पर बनबसा कस्बा चम्पावत तहसील एवं जिले में सम्मिलित किया गया। टनकपुर-खटीमा मोटरमार्ग पर स्थित बनबसा की अधिकांश

जनसंख्या मजदूरी एवं गैर-कृषि कार्य पर निर्भर होने के कारण इस क्षेत्र को जनगणना नगर का दर्जा प्राप्त हुआ है।

8- नगला -

वर्ष 1991 की जनगणना में भी नगला कस्बे को जनगणना नगर के रूप में चिन्हित किया गया था। वर्ष 1991 में इस कस्बे की जनसंख्या 7652 थी। कुमाऊँ मण्डल की सांख्यिकीय सूचना के अनुसार इस कस्बे का क्षेत्रफल 12-39 वर्ग कि०मी० है। वर्ष 2001 में इस कस्बे की जनसंख्या में विगत जनगणना की तुलना में मात्र 3.95 प्रतिशत ही वृद्धि हुई है। नगला कस्बा किच्छा तहसील के अन्तर्गत वर्ष 1994 से पूर्व नैनीताल जिले में था और वर्ष 1994 से ऊधमसिंह नगर जनपद में है। एक दशक से इस कस्बे को वैधानिक रूप से नगरीय क्षेत्र का दर्जा दिए जाने के विषय में निर्णय नहीं हुआ है फलस्वरूप यह कस्बा वैधानिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र ही है क्योंकि उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा-3 के अन्तर्गत इस कस्बे को नगरीय क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है।

9- बन्डिया -

बन्डिया को जनगणना 2001 के दौरान नगरीय क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है किन्तु वैधानिक रूप से यह क्षेत्र फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत ही है। वर्ष 1991 की जनगणना में भी उत्तराखण्ड के कुछ क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया था किन्तु इन क्षेत्रों को उ०प्र० व वर्तमान उत्तराखण्ड सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्र घोषित नहीं किया गया था। जनगणना के मानकों के अनुसार मुख्यतः गैर-कृषि व्यवसाय में कार्यरत अधिसंख्य जनसंख्या के आधार पर कस्बे को नगरीय क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाता है किन्तु ऐसे कस्बों को वैधानिक रूप से नगरीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राज्य सरकार में निहित है।

10- कचनाल गोसाईं -

काशीपुर नगर से लगभग सटे हुए इस कस्बे की वर्ष 2001 में जनसंख्या 4,199 (पुरुष 2,393, महिलाएँ 1,806) थीं। कचनाल गोसाईं को नगरीय क्षेत्र का वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है।

निष्कर्ष –

उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय कार्यात्मक प्रतिरूप में कुमाऊँ के भाबर एवं तराई क्षेत्र के चयनित इन दोनों ही नगरों के महत्व में वृद्धि से जहाँ एक ओर आय एवं रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है वहीं तीव्र नगरीयकरण के फलस्वरूप आधारभूत सुविधाओं जैसे आवास, चिकित्सा, शिक्षा सुविधायें, यातायात-परिवहन प्रतिरूप पर अभूतपूर्व दबाव पड़ रहा है इसी के साथ नगर के केन्द्रीय भाग में भूमि की दुर्बलता से भौतिक विकास परिधि क्षेत्रों में उर्वर कृषि भूमि पर हो रहा है। भौतिक विकास की इस अनियोजित निरन्तरता से नगरीय अव्यवस्था का बढ़ना व ग्रामीण संसाधन आधार का संकुचन होता जा रहा है। इसी के साथ नगर में सस्ती आवासीय सुविधाओं के अभाव में, श्रमिकों द्वारा मानवीय आवास के अयोग्य तथा निचली भूमि में मौलिक सुविधारहित आवासों मुख्यतः झुग्गी-झोपड़ियों का निर्माण कर मलिन बस्तियों के अनियंत्रित विस्तार की विकट समस्या उत्पन्न हुई है।

संदर्भ सूची –

1. Davis K. 1965 'The Organization of Human Population.' Scientific American, p.123.
2. साह जी० एल० 1999 कुमाऊँ में नगरीयकरण, उद्भव एवं प्रवृत्तियों, नगरीय ह्रास के कुछ सांस्कृतिक पहलू, अखिल भारतीय समाज शास्त्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत शोध पत्र, कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल।
3. भट्ट चन्द्र त्रिलोक 2001 'उत्तराखण्ड आंदोलन' (पृथक राज्य आंदोलन का ऐतिहासिक दस्तावेज) भाग-2 तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली पृष्ठ संख्या 1-3.
4. Ramchandran R. 1989 Urbanization and Urban Systems in India. Oxford, New Delhi.
5. त्रिपाठी किरन 1995-96 उत्तराखण्ड के प्रमुख नगर- उद्भव एवं विकास, उत्तराखण्ड अंक 9-10, उत्तराखण्ड शोध संस्थान।
6. साह जी० एल० 1999 तदैव.
7. देवरानी हरिदत्त 1946 वसुंधरा गढ़वाल साहित्य परिषद, प्रथम संस्करण प्रयाग.
8. मिश्र नित्यानन्द 1987 तराई-भाबर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि- उत्तराखण्ड- 1, उत्तराखण्ड शोध संस्थान, पृष्ठ 25-29.
9. मुकुल 1986 हिल स्टेशन, उपनिवेशों में यूरोप के टुकड़े, पहाड़-2 पृष्ठ 177-179.
10. साह जी० एल० 1999 तदैव.
11. Sharma Pitamber 1998 Market and small Towns in Hindukush Himalayas : Alternative Modes of urbanization. Issues in Mountain development 98 / 8 ICIMOD, Nepal.
12. Bose Ashish 'Studies in India's Urbanization' 1901-1971, p.3.
13. पाण्डे बद्दीदत्त 1937 कुमाऊँ का इतिहास। संस्करण, 1990, श्याम प्रकाशन, श्री अल्मोड़ा बुक डिपो अल्मोड़ा.
14. Census of India 1991 Series 25 Uttar Pradesh Part IX - A Town Directory, Direction of census operation U.P.
15. भट्ट त्रिलोक चन्द्र 2001 तदैव। पृष्ठ 65-66.
16. एटकिंसन एडविन टी० हिन्दी रूपान्तर- प्रकाश थपलियाल - हिमालयन गजेटियर (हिन्दी रूपान्तर) ग्रन्थ- तीन भाग एक व दो पृष्ठ संख्या 462-463.
17. सेमवाल गोविन्दा नन्द 2003 उत्तरांचल नगर एवं नगरपालिकायें, उत्तराखण्ड प्रकाशन, देहारादून पृष्ठ संख्या 404, 417 एवं 462-466.

18. Leonard Zabler The Economic Historical view of natural resources use and conservation. Economic Geography , 1962. Vol. 38, p. 89.
19. Census of India 1991 Final Population Tables Series 1 Vol II.
20. सेमवाल गोविन्दा नन्द 2003 वही.
21. सेमवाल गोविन्दा नन्द 2003 वही.
22. पाण्डे बट्टीदत्त 1937 वही.

Estelak